रजिस्ट्री सं डी (डी एन)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 491] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 1985/कार्तिक 23, 1907
No. 491] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 1985/KARTIKA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1985

अधिसूचना

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1985

सा का नि 937(अ) केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं — इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) अभिप्रेत है ;

(ख) "अपील प्राधिकरण" से कोई ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसको इन नियमों के किसी उपबंध के अधीन कोई अपील की जाएगी;

(ग) "रसायन परीक्षक" से रसायन परीक्षक, सरकारी अफीम और ऐल्केलाइड संकर्म, नीमच या गाजीपुर अभिप्रेत है;

(घ) "मुख्य कारखाना नियंत्रक" से सरकारी अफीम और ऐल्केलाइड कारखानों का मुख्य नियंत्रक अभिप्रेत है ;

(ङ) "फसल वर्ष" से किसी वर्ष की 1 अक्तूबर से ही प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष 30 सितंबर तक की अवधि अभिप्रेत है;

(च) "महाप्रबंधक" से महाप्रबंधक, सरकारी अफीम और ऐल्केलाइड संकर्म, नीमच या गाजीपुर अभिप्रेत है ;

(छ) "जारी करने वाला प्राधिकारी" से स्वापक आयुक्त या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त इन नियमों के अध्याय 5 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए या आयात प्रमाण पत्र या स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ की बाबत इन नियमों के अध्याय 6 के अधीन निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ;

(ज) "अनुज्ञप्ति" से इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(झ) इन नियमों के अधीन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "समुचित प्राधिकारी" से स्वापक विभाग का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे स्वापक आयुक्त द्वारा वे कृत्य सौंपे जाते हैं ;

(ञ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ट) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

अधिकारियों की शक्तियां

3. शक्तियों का प्रत्यायोजन.— अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया स्वापक आयुक्त अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं इन नियमों के अधीन अपनी सभी शक्तियों या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

4. स्वापक आयुक्त और अन्य अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को शक्तियों का प्रयोग करना .— स्वापक आयुक्त और ऐसे अन्य अधिकारी जो अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं इन नियमों के अधीन उनके अधीनस्थ अधिकारियों को समनुदेशित सभी या किसी भी कृत्य का निर्वहन या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं ।

अध्याय 3

अफीम पोस्त खेती और अफीम और पोस्त तृण का उत्पादन

5. अफीम पोस्त खेती और अफीम या पोस्त तृण का उत्पादन.— अफीम या पोस्त तृण के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती केन्द्रीय सरकार के खर्चे और उसके द्वारा समय-समय पर अधिसूचित भूभागों में और नियम 8 के अधीन जिला अफीम अधिकारी द्वारा जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

6. अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए फीस .— अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी जिला अफीम अधिकारी को पांच रुपये की फीस का संदाय करने पर दी जा सकेगी ।

7. अफीम पोस्त की खेती के लिए अनुज्ञप्ति का प्ररूप .— अफीम या पोस्त तृण के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए अनुज्ञप्ति इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 1 में जारी की जाएगी ।

8. अनुज्ञप्ति जारी करना .— अनुज्ञप्तियों की मंजूरी के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित साधारण शर्तों के अधीन रहते हुए, जिला अफीम अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अफीम या पोस्त तृण के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए किसी फसल वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 2 में जारी की जा सकेगी ।

9. अनुज्ञप्ति में क्षेत्र आदि का विनिर्देश किया जाना.— नियम 8 के अधीन अफीम पोस्त की खेती के लिए जारी की गई अनुज्ञप्ति में वह क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा और वे भू-खंड बताए जाएंगे जहां अफीम पोस्त खेती की जाएगी ।

10. लम्बरदारों को पदाभिहित करना .— ऐसे प्रत्येक ग्राम में जहां अफीम पोस्त की खेती करने की अनुज्ञा है अफीम पोस्त खेतिहरों में से एक व्यक्ति को जिला अफीम अधिकारी लम्बरदार के रूप में पदाभिहित कर सकेगा जो ऐसे कृत्यों का और ऐसे निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा जो स्वापक आयुक्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

11. अनुज्ञप्ति को रोकना या रद्द करना.— (1) जिला अफीम अधिकारी से उच्चतर पंक्ति का कोई अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे पहले से जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति को रोक या रद्द कर सकता है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक खेतिहर को उस आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का या पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता यदि वह वांछा करता है कि उसे स्वयं सुना जाए तो तब तक उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं सुना जाता ।

(3) जहां अफीम पोस्त की खेती किसी ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन की गई है जिसे तदनन्तर रोक या रद्द कर दिया जाता है तो खड़ी फसलें यदि कोई हैं तो उन्हें स्वापक आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति में किसी समुचित अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन नष्ट किया जाएगा ।

12. अफीम पोस्त की खेती की जाने वाली भूमि के माप की बाबत प्रक्रिया .— (1) ऐसे सभी भूखंडों का जिनमें इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार खेती की जानी है, माप, ग्राम के लम्बरदार और संबंधित खेतिहर के समक्ष समुचित अधिकारी द्वारा मौकों में किया जाएगा और ग्राम का संबंधित खेतिहर और लम्बरदार इस निमित्त स्वापक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में लम्बरदार द्वारा रखे गए अभिलेख में की गई प्रविष्टियों को, माप की शुद्धता की बाबत अपने समाधान के परिणाम-स्वरूप तारीख के साथ अपने हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान से अनुप्रमाणित करेंगे ।

(2) समुचित अधिकारी द्वारा माप का ऐसे अधिकारियों द्वारा आगे जांच पड़ताल की जा सकेगी जिन्हें स्वापक आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

13. प्रारम्भिक तौल की बाबत प्रक्रिया.— (1) फसल की कटाई के दौरान खेतिहर प्रत्येक दिन लम्बरदार के समक्ष, अपनी फसल से प्रत्येक दिन इकट्ठी की गई अफीम को तौल के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(2) लम्बरदार ऐसी अफीम के तौलने की व्यवस्था करेगा और उसके द्वारा रखे गए ऐसे अभिलेखों में जो स्वापक आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं आवश्यक प्रविष्टियां करेगा ।

(3) खेतिहर और लम्बरदार ऐसे अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों, किसी विनिर्दिष्ट दिन तौली गई अफीम की मात्रा को उपदर्शित करते हुए अपने हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान तारीख के साथ, अनुप्रमाणित करेंगे ।

(4) समुचित अधिकारी लम्बरदार के अभिलेख में की गई प्रविष्टियों के प्रतिनिर्देश से खेतिहर द्वारा इकट्ठी की गई अफीम की तौल की जांच पड़ताल कराएगा और उस पर अपने निष्कर्ष उपदर्शित करेगा और अपने और लम्बरदार के तारीख के साथ हस्ताक्षर द्वारा अनुप्रमाणित करेगा ।

(5) लम्बरदार के अभिलेख में उपदर्शित, खेतिहर द्वारा उत्पादित, अफीम की मात्रा और जांच पड़ताल के दौरान समुचित अधिकारी को प्राप्त मात्रा के बीच यदि कोई अन्तर है तो उनकी जांच अधिनियम की धारा 19 के अधीन दण्ड के लिए खेतिहर का दायित्व अवधारित करने के लिए समुचित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

14. उत्पादित अफीम का परिदान .— सारी अफीम, पोस्त की खेती की गई भूमि के सभी उत्पाद खेतिहर द्वारा जिला अफीम अधिकारी या स्वापक आयुक्त द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थान पर परिदत्त किए जाएंगे ।

15. अफीम की तोल परीक्षण और वर्गीकरण .— खेतिहरों द्वारा जिला अफीम अधिकारी को या उपरोक्त के अनुसार प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को परिदत्त की गई सारी अफीम को संबंधित खेतिहर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति और ग्राम के लम्बरदार की उपस्थिति में, तोला जाएगा, परीक्षण किया जाएगा और इसका क्वालिटी और गाढ़ापन के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और जिला अफीम अधिकारी द्वारा, स्वापक आयुक्त द्वारा या विनिर्दिष्ट रीति में सरकारी अफीम कारखाने को भेजा जाएगा ।

16. अफीम के वर्गीकरण की बाबत खेतिहर का समाधान न होने की दशा में प्रक्रिया.— कोई खेतिहर जो नियम 15 में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए अफीम के वर्गीकरण से असंतुष्ट है, उसे अपनी उपस्थिति में और संबंधित लम्बरदार की उपस्थिति में, उचित रूप से सीलबन्द करने के पश्चात उस अधिकारी द्वारा उसे अलग से सरकारी अफीम कारखाने को प्रेषित कराए कराएगा ।

17. ऐसी अफीम को भेजने की प्रक्रिया जिसके अपमिश्रित होने का संदेह है.— जब किसी खेतिहर द्वारा जिला अफीम अधिकारी को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अफीम परिदत्त की जाती है और उसमें किसी बाहरी पदार्थ के अपमिश्रण का संदेह है तो अलग से खेतिहर और उसे संबंधित लम्बरदार की उपस्थिति में उचित रूप से सीलबन्द करके सरकारी अफीम कारखाने को भेजा जाएगा ।

18. नियम 16 या नियम 17 के अधीन सरकारी अफीम कारखाने को भेजी गई अफीम में ऐसे नमूने लेना .— नियम 16 या नियम 17 के अनुसार अलग से प्राप्त की गई सीलबन्द अफीम को, खेतिहर यदि यह वांछा करे तो, और उसे पहले ही इस निमित्त एक सूचना भेजकर जिसमें तारीख और समय संसूचित करेगा, उसकी उपस्थिति में खोला जाएगा और उसमें से नमूने लिए जाएंगे ।

19. अफीम की कीमत नियत करना.— (1) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर, ऐसी रीति में जैसी वह उचित समझे अफीम की वह कीमत नियत करेगा जो खेतिहरों को संदत्त की जाएगी ।

(2) ऐसी कीमत मानक गाढ़ेपन वाली अफीम के प्रति किलोग्राम के लिए नियत की जाएगी ।

20. कीमत का अंतिम संदाय .— (1) जिला अफीम अधिकारी प्रत्येक खेतिहर द्वारा परिदत्त अफीम के भार और गाढ़ेपन को ध्यान में रखते हुए ऐसी अफीम का भार मानक गाढ़ेपन पर निकालेगा और ऐसे खेतिहरों को संदेय कुल कीमत का अंतिम अवधारण करेगा ।

(2) उक्त अधिकारी इस प्रकार अवधारित कीमत का नब्बे प्रतिशत खेतिहरों को संदाय करेगा जो इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के अनुसार अवधारित कृषकों को संदेय अंतिम कीमत के समायोजन के अधीन होगा ।

21. सरकारी अफीम कारखाने में अफीम को तोलना और उसकी परीक्षण करना .— जिला अफीम अधिकारी द्वारा भेजी गई अफीम ऐसी रीति से जो स्वापक आयुक्त द्वारा विहित की जाए सरकारी अफीम कारखाने में महाप्रबंधक के पर्यवेक्षण के अधीन प्राप्त की जाएगी, तोली जाएगी और उसका परीक्षण और वर्गीकरण किया जाएगा ।

22. अपमिश्रित अफीम की जब्ती.— नियम 17 के अधीन पृथकतः प्राप्त की गई सभी ऐसी अफीम यदि सरकारी अफीम कारखाने में रसायन परीक्षक द्वारा परीक्षण करने पर अपमिश्रित पाई जाती है तो वह महाप्रबंधक द्वारा जब्त की जा सकेगी ।

23. अपमिश्रित अफीम की जब्ती का न्याय निर्णय.— महाप्रबंधक ऐसी जब्ती का तब तक आदेश नहीं करेगा जब तक खेतिहर को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए कोई उचित अवसर नहीं दिया जाता है और उससे यदि वह ऐसी वांछा करे व्यक्तिगत रूप से नहीं सुना जाता ।

24. अफीम की अंतिम कीमत का अवधारण.— 4 (1) नियम 21 के अधीन रहते हुए खेतिहर को संदेय अफीम की अंतिम कीमत नियम 19 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई कीमत को ध्यान में रखते हुए रसायन परीक्षक की या ऐसे अन्य व्यक्तियों की, जो इस निमित्त कारखाना मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर महाप्रबंधक द्वारा अवधारित की जाएगी और संबंधित जिला अफीम अधिकारी को संसूचित की जाएगी ।

(2) किसी ऐसी अफीम की बाबत संदेय कीमत जो जिला अफीम अधिकारी या नियम 14 के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को परिदत्त की जाती है और आरंभ में उसके अपमिश्रित होने का संदेह नहीं होता है किन्तु सरकारी अफीम कारखाने में परीक्षण करने पर जिसे अपमिश्रित पाया जाता है, ऐसी दर पर कमी किए जाने के अधीन होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

25. खेतिहर-लेखा का समायोजन और खेतिहारों से शोध्य रकम की वसूली :—पश्चातवर्ती फसल-वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति जारी करते समय, किसी विशिष्ट फसल-वर्ष के लिए खेतिहरों के लेखाओं का जिला अफीम अधिकारी द्वारा समायोजन किया जाएगा और किसी अतिशेष को, जो खेतिहारों से शोध्य रहता है वसूल किया जाएगा और उनको शोध्य रकम यदि कोई है, उनको संदत्त की जाएगी ।

26. बाट और तराजू :—तोलन केन्द्रों और सरकारी अफीम कारखानों में अफीम को तोलने में प्रयोग किए जाने वाले बाटों और तराजुओं का, यथास्थिति उप-स्वापक आयुक्त या महाप्रबंधक द्वारा समुचित समय पर परीक्षण कराया जाएगा ।

27. पोस्त तृण के अनन्य उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती :— केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझती है तो उन भू-भागों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विहित की जाएं, नियम 8 के अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति के अनुसरण में पोस्त तृण के अनन्य उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती करने की अनुज्ञा देगी :

परन्तु अफीम के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के परिणामस्वरूप खेतिहारों द्वारा उत्पादित पोस्त तृण को, नियम 8 के अधीन जारी की गई किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन उत्पादित किया गया समझा जाएगा ।

28. उप-स्वापक आयुक्त और स्वापक आयुक्त को अपील :—(1) (क) उप-स्वापक आयुक्त से नीचे की श्रेणी के स्वापक विभाग के किसी अधिकारी द्वारा अफीम पोस्त की खेती करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति के इंकार करने, रोकने या खारिज करने से संबंधित इन नियमों के अधीन किसी विनिश्चय या उसके द्वारा किए या पारित किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको ऐसे विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उप-स्वापक आयुक्त को अपील कर सकेगा ।

(ख) खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुज्ञप्ति को रोकने या खारिज करने से संबंधित विनिश्चय या आदेश उप-स्वापक आयुक्त द्वारा पारित किया गया है, तो ऐसी अपील स्वापक आयुक्त को की जाएगी :

परन्तु, यथास्थिति, उप-स्वापक आयुक्त या स्वापक आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से खंड (क) के विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी अपील प्रस्तुत करने से निवारित था तो ऐसी अपील से तीस दिन की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) इस नियम के अधीन प्रत्येक अपील के साथ उस विनिश्चय या आदेश की एक प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है, लगी होगी और अपील ऐसे प्रकप में और ऐसी रीति में होगी जो स्वापक आयुक्त इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

29. कारखाना मुख्य नियंत्रक को अपील :—नियम 21 या नियम 23 के अधीन महाप्रबंधक द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय या आदेश को उसको दी गई संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर कारखाना मुख्य नियंत्रक को अपील कर सकेगा :

परन्तु कारखाना मुख्य नियंत्रक यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से उक्त समय सीमा के भीतर अपनी अपील प्रस्तुत करने में निवारित था तो तीस दिन की और अवधि के भीतर ऐसी अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) इस नियम के अधीन प्रत्येक अपील के साथ उस विनिश्चय या आदेश की एक प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, लगी होगी और अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में होगी जो स्वापक आयुक्त विनिर्दिष्ट करें।

30. अपील की प्रक्रिया :—(1) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को यदि वह ऐसी वांछा करें, सुनवाई का अवसर देगा।

(2) अपील प्राधिकारी, किसी अपील की सुनवाई के समय, अपीलार्थी को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट न किए गए अपील के किसी आधार को लेने की अनुज्ञा देगा यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप, जानबूझकर नहीं किया गया या आयुक्तियुक्त नहीं था ।

(3) अपील प्राधिकारी, ऐसी और जांच जो आवश्यक हो करने के पश्चात्, उस विनिश्चय या आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करते हुए, उसका उपांतरण करते हुए या उसको रद्द करते हुए ऐसा आदेश जैसा वह उपयुक्त समझे, पारित करेगा :

परन्तु नियम 23 के अधीन पहले से जब्त की गई अफीम के अतिरिक्त जब्त की जाने वाली अपमिश्रित अफीम की मात्रा से संबंधित कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक अपीलार्थी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए कोई उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

(4) इस नियम के अधीन अपील का निपटारा करने वाले अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और उसमें अवधारण के विषय, उन पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारणों का कथन होगा ।

(5) अपील को निपटाने पर, अपील प्राधिकारी, उसके द्वारा पारित आदेश की संसूचना, अपीलार्थी को और उस अधिकारी को देगा जिसने वह आदेश पारित किया था या वह विनिश्चय दिया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

(6) इस नियम के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई और अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा ।

अध्याय 4

अफीम का विनिर्माण, विक्रय और निर्यात

31. अफीम का विनिर्माण :—अफीम का गाजीपुर और नीमच स्थित केन्द्रीय सरकार के अफीम कारखाने के सिवाए विनिर्माण नहीं किया जाएगा :

परन्तु उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन किसी प्राधिकृत व्यक्ति के विधिमान्य कब्जे की अफीम से अफीम मिश्रण का विनिर्माण किया जा सकेगा ।

32. अफीम का निर्यात :—अफीम का निर्यात, उसके सिवाए जब निर्यात केन्द्रीय सरकार की ओर से है, प्रतिषिद्ध है ।

33. राज्य सरकारों या विनिर्माणकारी रसायनज्ञों को विक्रय : (1) यथास्थिति राज्य सरकारों या विनिर्माणकारी रसायनज्ञों को अफीम का विक्रय केवल सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर से होगा ।

(2) गाजीपुर स्थित सरकारी अफीम कारखाने से, विनिर्माणकारी रसायनज्ञ को, अफीम का विक्रय, केवल उस राज्य सरकार के जिसकी अधिकारिता के भीतर रसायनज्ञ निवास करता है या उसके कारबार का स्थान उस सरकार द्वारा विहित प्ररूप में दी आदेशों द्वारा या उनके अधीन मंजूर किए गए परमिट के अधीन किया जाएगा ।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट परमिट चार प्रतियों में जारी किया जाएगा, और—

(क) चौथी प्रति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा रख ली जाएगी और शेष प्रतियां सरकारी अफीम कारखाना गाजीपुर को भेज दी जाएगी ।

(ख) उक्त कारखाना, दूसरी प्रति अभिलेख के लिए रख लेगा और मूल प्रति अफीम के प्रदाय के साथ भेज देगा और तीसरी प्रति को, प्रदाय की गई वास्तविक मात्रा और प्रेषण की तारीख को पृष्ठांकित करने के पश्चात् जारी करने वाले प्राधिकारी को वापस लौटा देगा ।

34. अफीम की विक्रय कीमत को नियत करना :—इस अध्याय के अधीन विक्रय की गई अफीम के लिए प्रतिरित की जाने वाली कीमत केन्द्रीय सरकार द्वारा, उस रीति में जिसे वह उपयुक्त समझे, समय-समय पर नियत की जाएगी ।

अध्याय 5

विनिर्मित औषधियां

35. साधारण प्रतिषेध :—कच्ची कोकेन एकगोनिन और उसके लवणों तथा डायएसिटिल मार्फिन और उसके लवणों का विनिर्माण प्रतिषिद्ध है ।

36. (1) प्राकृतिक रूप से विनिर्मित औषधियों का विनिर्माण : (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन नियोजित रासायनिक कर्मचारिवृन्द द्वारा जब्त की गई कोकेन से कोकेन हाइड्रोक्लोराइड के विनिर्माण को छोड़कर, कोकेन और उसके लवणों का विनिर्माण प्रतिषिद्ध है ।

(2) सरकारी अफीम कारखाने को छोड़कर, मार्फीन, कोडेइन, डायोनिन, थिबेइन, डाईहाईड्रोकोडेइनोन, डाइहाइड्रोकोडेइन, एसिटिलडाइ-हाइड्रोकोडेइन, एसिटिल हाईहाइड्रो कोडेइनोन, डाइहाइड्रोक्सीकोडेनोन, कोलकोडीन और उनके लवणों का विनिर्माण सरकारी अफीम कारखाने के द्वारा विनिर्माण को छोड़कर, प्रतिषिद्ध है ।

(3) औषधीय भांग का विनिर्माण, राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी शर्तों के अनुसरण में, जो उस सरकार द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, किया जाएगा ।

37. संश्लिष्ट विनिर्मित औषधि का विनिर्माण :—स्वापक आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त यथा-प्राधिकृत किया जाए, इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 3 में मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन उनके अनुसरण में विनिर्माण को छोड़कर, अधिनियम की धारा 2 के खंड (xi) के उप-खंड (ख) के अधीन अधिसूचित विनिर्मित औषधियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् औषधि कहा गया है) का विनिर्माण प्रतिषिद्ध है ।

38. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन नियम 37 के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के लिए या उसके नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि, स्वापक आयुक्त विनिर्दिष्ट करे ।

39 अनुज्ञप्ति जारी करने की शर्तें नियम 37 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक ने :-

(i) जारी करने वाले प्राधिकारी के पास (क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और (ख) अधिनियम की धारा 10 के अधीन विरचित नियमों, के अधीन उस राज्य सरकार ने, जिसमें औषधि के कब्जे विक्रय और वितरण का स्थान है, औषधि निर्माण के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्तियां प्रस्तुत नहीं कर दी हों ; और

(ii) अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए, अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रतिभूति के रूप में 5000 रु जमा नहीं करा दिए हों, और जारी करने वाले प्राधिकारी के समाधानप्रद से यह सबूत नहीं दे दिया हो कि, आवेदन में वर्णित कारबार को चलाने के लिए उसके पास भूमि, भवन और अन्य साज-समान है तथा उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है ।

40. केवल विधि सम्मत प्रसंस्कृत सामग्रियों से विनिर्माण अनुज्ञप्तिधारी औषधि का विनिर्माण केवल उन सामग्रियों से करेगा जिन्हें वह विधि सम्मत रूप से रखने का हकदार है अन्यथा नहीं ।

41 विनिर्माण की परिसीमाएं अनुज्ञप्ति जारी करते समय, उसे जारी करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्मित की जाने वाली औषधियों की मात्रा अनुज्ञात करने के लिए, सभी सुसंगत कारकों का ध्यान रखेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं ।

(क) राज्य सरकार द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी की विनिर्माणशाला में किसी विनिर्मिति के प्रसंस्करण के लिए, आबंटित मात्रा;

(ख) देश और देश से बाहर, अन्य फर्मों को प्रदाय करने के लिए अपेक्षित मात्रा;

(ग) उचित सूची-माल के लिए अपेक्षित मात्रा :

परन्तु यह तब जब किसी एक वर्ष के भीतर विनिर्मित की जाने वाली औषधि की कुल मात्रा, सुसंगत वर्ष के लिए, इस देश की उस प्राक्कलित उस आवश्यकता से अधिक नहीं हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्वापक बोर्ड को बताई गई है ।

42 सुरक्षा प्रबंध—अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्माण परिसरों में ऐसे सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करेगा जो जारी करने वाला प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे ।

43. विनिर्माण का प्रारंभ और समाप्ति के लिए अग्रिम सूचना अनुज्ञप्तिधारी, जारी करने वाले प्राधिकारी को, उस तारीख के बारे में, जिसको वह औषधि विनिर्माण का प्रारंभ करना चाहता है लिखित रूप में 15 दिन से अन्यून की और उसे विनिर्माण की समाप्ति के एक मास पूर्व सूचना देगा ।

44. विनिर्माण की समाप्ति—अनुज्ञप्तिधारी यदि किन्हीं भी कारणों से, विनिर्माण क्रियाएं समाप्त करता है तो वह जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत इस निमित्त, उस तारीख को, उपदर्शित करते हुए जिसको वह विनिर्माण पुनः आरंभ करना चाहता है, सूचित करेगा :

परंतु यह कि, जारी करने वाला प्राधिकारी, यदि विनिर्माण की समाप्ति की अवधि 30 दिन से अधिक है तो आगे के सभी विनिर्माण के प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

45. कब्जा विक्रय और वितरण—अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अन्यथा, औषधि को कब्जे में नहीं रखेगा या विक्रय या वितरण नहीं करेगा ।

46 लेखा रखना और विवरणी प्रस्तुत करना—अनुज्ञप्तिधारी, सभी सव्यवहारों जिसके अंतर्गत औषधि के विनिर्माण के लिए उपयोग की गई सामग्रियों का लेखा, विनिर्मित मात्राएं, विक्रय की गई या अन्यथा व्ययन की गई सामग्री का सही लेखा रखेगा और स्वापक आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे प्ररूप में और रीति में प्रस्तुत करेगा ।

47. स्टाक का निरीक्षण आदि—(i) औषधि के स्टाक और उसके विनिर्माण में उपयोग की गई सामग्रियों और उससे संबंधित व्यवहारों के सभी लेखाओं और अभिलेखों का जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) अनुज्ञप्ति अधिकारी एक क्रम संख्यांकित निरीक्षण बही ऐसे अधिकारी के उपयोग के लिए सही दशा में रखेगा ।

48. अनुज्ञप्ति का निलंबन और प्रतिसंहरण—(i) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जारी करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकता है यदि—

(i) अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना, अंतरित की जाती है या उपपट्टा पर दी जाती है या;

(ii) अनुज्ञप्ति की कोई शर्त भंग की जाती है; या

(iii) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम के अधीन या किसी राज्य में स्वापक औषधि से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाता है ।

(2) उप नियम (i) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को उक्त आदेश के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता या यदि वह ऐसा चाहे तो, उसे व्यक्तिगत रूप से, सुन नहीं लिया जाता ।

49. अपील—(i) अनुज्ञप्तिधारी, नियम 48 के अधीन किए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध ऐसे विनिश्चय या आदेश के उसे संसूचित किए जाने के 30 दिन के भीतर, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा—

(i) जहां ऐसा विनिश्चय और आदेश स्वापक आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किया है वहां स्वापक आयुक्त को; और

(ii) किन्हीं अन्य मामलों में, बोर्ड को ।

(2) अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ उस विनिश्चय या आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति लगी होगी ।

(3) इस नियम के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में फाईल की जाएगी जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

IndiaCode

50. अपील के लिए प्रक्रिया (1) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को यदि वह चाहता है तो व्यक्तिगत रूप में सुनने का अवसर देगा ।

(2) अपील प्राधिकारी, अपील की सुनवाई के दौरान यदि उसका यह समाधान हो गया है कि अपील के आधारों में किसी आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्ति युक्त रूप से नहीं किया गया था तो, अपीलार्थी को, अपील के आधारों में अविनिर्दिष्ट कोई आधार जोड़ने की अनुज्ञा-प्रदान कर सकता है ।

(3) अपील अधिकारी, ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक हो, ऐसे विनिश्चय या आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करने, उपांतरित करने या खारिज करने की ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे पारित कर सकेगा ।

(4) इस नियम के अधीन अपील का निपटान करने वाला अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और उसमें उन विषयों का, जिनका विनिश्चय किया जाता है, और विनिश्चय के आधारों का कथन होगा ।

51. अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण:—कोई अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह चाहे तो, 15 दिन से अन्यून की सूचना अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को लिखित में देकर अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण कर सकेगा ।

52. अनुज्ञप्ति आदि के रद्दकरण पर औषधियों के स्टाक का निपटान :— औषधियों के उस स्टाक का, जो अनुज्ञप्ति के पर्यवसान या रद्दकरण या अभ्यर्पण के समय अनुज्ञप्तिधारी के कब्जे में हो, ऐसी रीति से, जैसी कि स्वापक आयुक्त इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, निपटान किया जाएगा ।

अध्याय 6

स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का आयात, निर्यात और लदाई

53. साधारण प्रतिषेध :—इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का भारत में आयात और भारत से बाहर निर्यात प्रतिषिद्ध किया जाता है ।

54. अफीम आदि का आयात सरकार, अफीम कारखाने द्वारा आयात को छोड़कर—

(1) अफीम, पोस्त तृण का क्षीर और

(2) मार्फीन, कोडेइन, थिबेन और उसके लवणों, का आयात प्रतिषिद्ध किया जाता है ।

55. आयात प्रमाण पत्र के लिए आवेदन: (1) जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप सं. 4 में जारी किए गए परवेष के बाबत, किसी आयात प्रमाण-पत्र के बिना, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का भारत में आयात नहीं किया जाएगा ।

(2) स्वापक औषधि के बाबत उपनियम (1) के अधीन किसी आयात प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वाला आयातकर्ता अपने आवेदन के साथ संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी उत्पाद-परमिट की मूल प्रति और प्रमाणित प्रति, प्रस्तुत करेगा ।

(3) आयात प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन में ऐसे सभ ब्यौरों का, जो स्वापक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कथन होगा ।

56. आयात प्रमाण-पत्र जारी करना : (1) जारी करने वाला प्राधिकारी नियम 55 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट आयात प्रमाण-पत्र की सात प्रतियां तैयार करेगा, और उनका सम्यवहार, इसके नीचे उपबंधित रीति में करेगा, अर्थात् :—

(क) (1) आयातकर्ता को, मूल प्रति और दूसरी प्रति देगा, जो मूल प्रति को निर्यात करने वाले देश को प्रेषित करेगा, और दूसरी प्रति को उस सीमा-शुल्क सदन, भूमि सीमाशुल्क केन्द्र, या विमानपत्तन को, जहां परेषण पहुंचता है, या, पार्सल डाक द्वारा आयात के दशा में, परिदान करने वाले डाकघर को, प्रस्तुत करेगा, जिससे कि स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के परेषण का परिदान अभिप्राप्त किया जा सके ।

(2) सीमा शुल्क कलक्टर या डाकपाल, आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रति पर यह कथन करेगा कि, स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का वास्तव में आयात हो चुका है और दस्तावेज को आयातकर्ता को लौटा देगा, जो उस पर यह वर्णित करेगा कि उसने माल प्राप्त कर लिया है ।

(3) आयातकर्ता, आयात प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति, उसमें सीमाशुल्क कलक्टर या डाकपाल की पृष्ठांकन और अपना स्वयं का पृष्ठांकन करते हुए जारी करने वाले प्राधिकार को, निम्नलिखित को मार्फत लौटा देगा—

(1) जहां आयात प्रमाण-पत्र, स्वापक औषधि से संबंधित है, वहां राज्य के उन उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की मार्फत जिनसे नियम 55 के उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए उत्पाद-शुल्क परमिट प्रस्तुत किया गया था;

(2) जहां आयात प्रमाण-पत्र मन:प्रभावी पदार्थ से संबंधित है, वहां संबंधित राज्य के औषधि नियंत्रक की मार्फत ।

(ख) तीसरी प्रति संबंधित सीमा शुल्क कलक्टर को दी जानी चाहिए जो उसे स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का निकासी की जाने वाली वास्तविक परिमाण का पृष्ठांकन करते हुए, निर्यात प्राधिकारी को, जिसे निर्यातकर्ता देश की सरकार से परेषण प्राप्त करते समय प्राप्त निर्यात प्राधिकार पत्र की एक प्रति के साथ अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी को वापस कर देगा ।

(ग) स्वापक औषधि के संबंध में निर्यात प्रमाणपत्र की चौथी प्रति उस राज्य के उत्पादशुल्क प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए जिसमें स्वापक औषधि निर्यात की जानी है, मन:प्रभावी पदार्थ के संबंध में प्रमाण पत्र की उक्त प्रति आयातकर्ता द्वारा इस उपनियम के उप-खंड (क) के अधीन पेश की गई प्रति से मिलान के लिए संबंधित राज्य के औषधि नियंत्रक को दी जानी चाहिए ।

(घ) पांचवीं प्रति निर्यातकर्ता देश की सरकार को, इस उप नियम के उपखंड (क) के अधीन आयातकर्ता द्वारा उसे पेश की गई प्रति से मिलान के लिए, सौंपी जानी चाहिए ।

(ङ) छठी प्रति औषधि नियंत्रक, भारत सरकार को दी जानी चाहिए ।

(च) सातवीं प्रति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपने पास रखी जानी चाहिए ।

(2) नियम 55 के उप-नियम (1) के अधीन जारी किया गया आयात प्रमाणपत्र में एक से अधिक परेषणों से संबंधित औषधि या पदार्थ के परिमाण का आयात अनुज्ञात किया जा सकता है ।

57. अभिवहन अधिनियम की धारा 79 और नियम 53 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ के किसी परेषण को भारत होकर अभिवहित किए जाने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे परेषण

के साथ निर्यातकर्ता देश की सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किया गया विधिमान्य निर्यात प्राधिकार पत्र संलग्न नहीं हो ।

परन्तु यह कि यह नियम ऐसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के लघु परिमाणों के जिसका जहाज या वायुयान पर सवार किसी व्यक्ति की चिकित्सा या चिकित्सा सहायता के लिए आवश्यकता है जहाज या वायुयान द्वारा वहन को लागू नहीं होगा ।

58. निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन (1) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का निर्यात, इन नियमों में संलग्न प्ररूप सं 5 में जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा परेषण के संबंध में जारी किए गए निर्यात प्राधिकार पत्र के बिना भारत के बाहर नहीं किया जाएगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए आदेश करने वाला निर्यात कर्ता निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,—

(क) जहां निर्यात प्राधिकार पत्र का संबन्ध स्वापक औषधि से है, वहां अपने आवेदन के साथ संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए उत्पाद अनुज्ञा पत्र की मूल प्रति या एक अभिप्रमाणित प्रति, और

(ख) आयात प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो आयात करने वाले देश की सरकार द्वारा जारी किया गया हो और संबंधित सरकार के सामर्थ्य अनुपादेश को प्रमाणित करता हो ।

(3) उप-नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थ का निर्यात भारत से बाहर निर्यातकर्ता द्वारा प्ररूप 6 में घोषणा के मूल और दो प्रतियां स्वापक औषधि आयुक्त को देय किए जाने के पश्चात् किया जा सकता है, जो आयातकर्ता देश के संबंधित प्राधिकारी को घोषणा की दो प्रतियां उस प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हुए भेजेगा कि वह घोषणा की दोनों प्रतियों पर यह प्रमाणित करे कि मनःप्रभावी पदार्थ का वास्तविक परिमाण सम्यक् रूप से आयातित किया गया है, और उक्त प्रति को वापस भेज दें । उक्त पदार्थों के परेषण के साथ घोषणा की तीन प्रतियां निर्यातकर्ता द्वारा आयातकर्ता देश को भेज दी जानी चाहिए तथा उसकी चार प्रतियां अपने पास रख लेनी चाहिए ।

(4) निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन में ऐसे ब्यौरे होंगे जो स्वापक औषधि आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

59 निर्यात प्राधिकार पत्र का जारी किया जाना : (1) जारी करने वाला प्राधिकारी नियम 58 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट निर्यात प्राधिकरण की पांच प्रतियां तैयार करेगा और उनका व्यवहार नीचे उपबंधित रीति से करेगा, अर्थात् —

(क) मूल प्रति परेषक को दी जाएगी और परेषण के साथ अनुलग्न रहेगी ।

(ख) दूसरी प्रति पत्तन के सीमा शुल्क कलक्टर को भेजी जाएगी, जो उसे उस पर निर्यात किए जाने वाले और निर्यात किए गई मात्रा उपदर्शित करते हुए, जारी करने वाले प्राधिकारी को वापस कर देगा ।

(ग) तीसरी प्रति निर्यातकर्ता देश की सरकार को भेजी जाएगी ।

(घ) चौथी प्रति उस राज्य के, जिसमें निर्यातकर्ता के कारोबार का स्थान है, उत्पाद-शुल्क प्राधिकारी को भेजी जाएगी ।

(ङ) पांचवीं प्रति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में रखी जाएगी ।

जहां स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का परेषण एक या अधिक देश होकर यात्रान्तरित या अभिवहित होने वाला है वहां निर्यात प्राधिकार पत्र की उतनी अतिरिक्त प्रतियां, जितनी अपेक्षित हों, तैयार की जाएंगी और संबंधित देश या देशों को भेजी जाएंगी ।

60. लदान यात्रान्तरण अधिनियम की धारा 79 और नियम 53 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के किसी परेषण को सीमाशुल्क कलक्टर की अनुज्ञा के सिवाय, भारत में किसी पत्तन पर लदान करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

61. लदान की प्रक्रिया :— सीमा शुल्क कलक्टर अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थों के किसी परेषण को लदान के लिए अनुज्ञात करते समय अन्य बातों के साथ साथ अपना यह समाधान कर लेगा कि परेषण के साथ निर्यातकर्ता देश द्वारा जारी किया गया विधिमान्य निर्यात प्राधिकार पत्र संलग्न है ।

62. परेषण का मार्ग परिवर्तन :— (1) सीमा शुल्क कलक्टर ऐसे परेषण को पूर्वोक्त निर्यात प्राधिकार पत्र में नामित से भिन्न गंतव्य स्थान को मार्ग परिवर्तित करने से रोकने के लिए सभी सम्यक् अध्युपाय करेगा ।

2. (क) सीमाशुल्क कलक्टर ऐसे परेषण को निर्यात प्राधिकार पत्र की संलग्न प्रति में नामित देश से भिन्न देश की ओर मार्ग परिवर्तित करने की अनुज्ञा, नियम 58 के अधीन यथा उपबन्धित के अनुसार जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्यात प्राधिकार पत्र को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए, इस प्रकार से दे सकेगा मानो परेषण का वह मार्ग परिवर्तन भारत से उस देश को या नए गंतव्य के राज्यक्षेत्र को निर्यात हो ।

(ख) सीमा शुल्क कलक्टर ऐसे स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की वास्तविक मात्रा के संबंध में, जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचना देगा जिसके परेषण के मार्ग परिवर्तन की खण्ड (क) के अधीन अनुज्ञा दी गई है और तब जारी करने वाला प्राधिकारी उस देश को, जहां से परेषण मूल रूप से चला है, सूचित करेगा ।

63. परेषणों के डाकघर पेटी आदि की मार्फत आयात और निर्यात का प्रतिषेध :— किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के परेषण को आयात या निर्यात किसी डाकघर पेटी या किसी बैंक की मार्फत करना प्रतिषिद्ध है ।

अध्याय 7

मनःप्रभावी पदार्थ

64. साधारण प्रतिषेध :— कोई भी व्यक्ति, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों का, विनिर्माण नहीं करेगा, उनको अपने कब्जे में नहीं रखेगा, उनका परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात, विक्रय क्रय, उपभोग या उपयोग नहीं करेगा ।

65. मनःप्रभावी पदार्थों का विनिर्माण :— (1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट से भिन्न किन्हीं मनःप्रभावी पदार्थों का विनिर्माण, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अधीन बनाए गए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1945 के नियम कहा गया है) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त उस राज्य में औषधि नियंत्रण के भार साधक किसी प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसरण में किया जाएगा ।

(2) किसी राज्य में औषधि नियंत्रण का भारसाधक प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी कहा गया है) उपनियम (1) में निर्दिष्ट, प्रत्येक प्रयुज्य मनःप्रभावी पदार्थ की देश में वार्षिक आवश्यकता के निर्धारण की बाबत, औषधि नियंत्रण (भारत) से परामर्श करेगा और ऐसे मनःप्रभावी पदार्थों की राज्य में आवश्यकता, राज्य से बाहर अन्य किसी विनिर्माताओं को प्रदाय के लिए अपेक्षित ऐसे पदार्थों की मात्रा और किसी

विनिर्माता द्वारा उचित भंडार रखने के लिए अपेक्षित ऐसे पदार्थों की मात्रा को हिसाब में लेते हुए, आदेश द्वारा, ऐसे पदार्थों की मात्रा की वह सीमा विनिर्दिष्ट करेगा जो राज्य में विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित की जा सकेगी ।

(3) उक्त मनःप्रभावी पदार्थों की मात्रा, जो एक वर्ष में एक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्मित की जा सकेगी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करते समय अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित की जाएगी ।

66. मनःप्रभावी पदार्थों का कब्जा, आदि :—(1) कोई भी व्यक्ति 1945 के नियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रयोजन के लिए किसी मनःप्रभावी पदार्थ को अपने कब्जे में तब तक नहीं रखेगा जब तक कि उसे इन नियमों के अधीन उक्त किसी प्रयोजन के लिए ऐसे मनःप्रभावी पदार्थों को अपने कब्जे में रखने के लिए विधिमान्य रूप से प्राधिकृत नहीं कर दिया जाता है ।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा या खैरात या स्वेच्छा से किए गए चन्दे से अनुरक्षित या पोषित कोई अनुसंधान संस्था या अस्पताल या औषधालय, जो 1945 के नियम के अधीन किसी मनःप्रभावी पदार्थ को अपने कब्जे में रखने के लिए प्राधिकृत नहीं है, या कोई व्यक्ति, जो 1945 के नियम के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत नहीं है, ऐसे पदार्थ की उतनी उचित मात्रा, जो उनकी वास्तविक वैज्ञानिक आवश्यकताओं या वास्तविक चिकित्सीय आवश्यकताओं या दोनों के लिए, आवश्यक हों, ऐसी अवधि के लिए जो उक्त अनुसंधान संस्था या उक्त अस्पताल या औषधालय या व्यक्ति आवश्यक समझे अपने कब्जे में रख सकेगा ।

परंतु जहां ऐसा मनःप्रभावी पदार्थ किसी व्यष्टि के कब्जे में, उसके व्यक्तिगत चिकित्सीय उपयोग के लिए है वहां उसकी मात्रा, एक समय में एक सौ खुराक यूनिट से अधिक नहीं होगी ।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अनुसंधान संस्था, अस्पताल और औषधालय, अपने कब्जे के मनःप्रभावी पदार्थ के क्रय और उपभोग के संबंध में समुचित लेखा और अभिलेख रखेंगे ।

67. मनःप्रभावी पदार्थों का परिवहन : (1) नियम 64 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मनःप्रभावी पदार्थों के परेषण का परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात या 6 अन्तरराज्यिक निर्यात तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि परेषण के साथ इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 7 में, और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में, एक परेषण पत्र नहीं लगा है ।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट परेषण पत्र, तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, और उक्त पत्र की मूल प्रति और दूसरी प्रति मनःप्रभावी पदार्थों के परेषण के साथ परेषिती को भेज दी जाएगी, और यह परेषित मात्रा की प्राप्ति की विशिष्टियों को मूल और दूसरी प्रति पर पृष्ठांकित करने के पश्चात् परेषक को उसके उपयोग के लिए उक्त पत्र की दूसरी प्रति लौटा देगा ।

(3) परेषक, पत्र की दूसरी प्रति पर उपदर्शित मनःप्रभावी पदार्थों की मात्रा की प्राप्ति के प्रतिनिर्देश से उक्त पत्र की तीसरी प्रति पर आवश्यक प्रविष्टियां करेगा ।

(4) परेषक और परेषिती ऐसे परेषण पत्र को दो वर्ष की अवधि तक रखेंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी भी समय उक्त पत्र का निरीक्षण कर सकेगा ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

68. निरसन और व्यावृत्ति (1) केन्द्रीय अफीम नियम, 1944, अभिषिद्धकर मादक द्रव्य (आयात, निर्यात और पोतांतरण) नियम, 1957 और केन्द्रीय विनिर्मित मादक द्रव्य नियम, 1962 निरसित किए जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपनियम (1) द्वारा निरसित किसी नियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इन नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची 1

(नियम 53 और 64 देखिए)

I स्वापक औषधियां:—

1. कोका की पत्ती
2. कैनेबिस (भांग)
3. (क) एसिटरकिन
 (ख) डाइएसिटलमारफिन (हैरोइन)
 (ग) डाइहाइड्रोक्सीमारफिन (डैस्पमारफिन)
 (घ) इटारफिन
 (ङ) केटोबेमीडोन

और उनके लवण, विनिर्मितियां, मिश्रण, निष्कर्षण और अन्य पदार्थ जिनमें इनमें से कोई औषधि हो ।

II. मन:प्रभावी पदार्थ

क्रम संख्या	अंतरराष्ट्रीय अ-स्वामित्व नाम	अन्य अस्वामित्व नाम	रासायनिक नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1		डी ई टी	एन. एन. डाइएथिल ट्रिप्टैमीन
2		डी एम.एच. पी	3—(1, 2-डाइमैथिल हेप्टाइल) 1—हाइड्राक्सी—7, 8, 9, 10—टैट्राहाइडो-6.6,9-ट्राइमैथिल 6 एच डाइबेंजो (बी डी) पाइरन
3.		डी. एम टी	एन. एन. डाइमैथिल ट्रिप्टेमीन
4.	(+)—लाइसर्जाइड एल एस. डी.	एल एस. डी -25	(+) एन.एन डाइएथिल लाइसर्जेमाईड (डी-लाइसर्जिकआम्ल डाइएथिल एमाइड)
5		मैस्केलीन	3,4,5 ट्राइमथऐक्सीफैनैथिलमीन
6.		पैरा हैक्सिल	3—हैक्सिल—1—हाइड्राक्सी 7,8,9,10-टैट्राहाइड्रो 6,6,9 - ट्राइमथिल — एच. डाइबेंजो (बी. डी) पाइरन
7	एटीमाइकर्मीडाइन पी सी ई.		एन-एथिल-1 - फेनिल साइक्लो हक्सील ऐमीन
8	पाइरोलीडाइनसीडाइन पी. एच पी.		1—(1—फेनिल साइक्लो हैक्सायल) पाइरोलीडीन

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)
		साइनोसाइन	3—(2—डाइमेथिल ऐमीनो एथिल)—5—हाइड्राक्सीइंडोन
		साइनोटेपिन	
10.	साइनोवाडबिन		3-(2-डाइमेथिल एमिनोएथिल 1—1/4 इंडोन—5—बाई एल-डाइहाइड्रोजनफास्फेट
11.		एस.टी. पी. डी. ओ. एम.	2—ऐमीनो-1—(2,5—डाइमीथोक्सी 4—मैथिल) फेनिलप्रोपेन
12.	टैनोसाइक्लाडोल	टी.सी.पी.	1—(1—2 थाइनिल) साइक्लो हेक्सिल पिपेरिडीन
13.		टी.एच.सी.	टेट्राहाइड्रोकनाबिनोल्स निम्नलिखित समाध्यवी△ 6ए (10ए), △ 6ए (7)—7, △8, △9, 10,ए(11) और उनके त्रिविम रासायनिक रूपभेद
14.		डी ओ बी.	2,5—डाइमैथाक्सी-4—ब्रोमो-एम्फिटेमिन
15.		एम. डी. ए.	3,4—मैथिलीन डाइआक्सी-एम्फेटेमिन
16.	मैक्लाक्वेलोन		3—(ओ-क्लोरोफेनिल) 2-मैथिल 4 (3-एच) क्विनेजोलिनोन
17.	मैथाक्वेलोन		2-मैथिल 3 ओ टैलिल—4 (3 एच) क्विनेजेलिनोन
18.	अल्प्राजोलम		8-क्लोरो—1—मैथिल-6-फेनिल-4एच-एस-ट्रायाजोलो (4, 3ए) (1,4) बर्जोडायाजैपिन
19.	अम्फेप्रामोन		2-(डाइएथिल एमिनो) प्रो-पियेनफेनोन
20.	बैंजफेटामिन		एन बैंजिल एन-ए डाइ-मैथिल-फेनेथिलएमीन
21.	ब्रोमाजेपाम		7-ब्रोमो-1-3-डाइहाइड्रो-5-(2-पिरीडिल)-2 एच-1, 4-बैंजोडायाजैपिन —2—वन
22.	क्लोराजैपाम		7—क्लोरो—1, 3 डाइहाइड्रो—3—हाइड्राक्सी-1—मथिल—5—फेनिल—2 एच—1, 4—बैंजो डाइएजैपिन 2—वन डाइ-मैथिलकार्बमेट (एस्टर)
23.	क्लोबाजैम		7—क्लोरो-1-मैथिल—5—फैनिल 1-एच-1, 5—बेंजो-डायाजैपिन 2, 4 (3एच, 5 एच)डायोन)
24.	क्लोनाजेपाम		5—(ओ , क्लोरोफेनिल) 1, 3—डाइहाइड्रो-7-नाइट्रो-2 एच-1, 4 बेंजो डायाजेपिन-2-वन
25.	क्लोराजेपेट		7—क्लोरो-2, 3—डाइ-हाइड्रो 2—आक्सो-5- फेनिल-1 एच, 4=बेंजोडायाजैपिन-3-कार्बो-आक्सीलिक अम्ल
26.	क्लोटियाजैपाम		4—(ओ-क्लोराफेनिल)—7—एथिल—1, 3—डाइहाइड्रो—1 मेथिल 2- एथायेनो (2,3 ई)—1,4—डाइएजेपिन 2-वन
27.	क्लोक्साजोलम		10—क्लोरो-11 बी-(ओ-क्लोरोफेनिल)—2,3, 7, 11बी-टेट्राहाइड्रो आक्साजोलो (3, 2, डी) (1,4) बैंजोडायाजैपिन 6 (6एच)—वन
28.	डेलोराजैपाम		7—क्लोरो—5—(ओ-क्लोरो फैनिल)—1, 3—डाइहाइड्रो—2एच—1 4—बेंजोड.यार्जैपिन —2—वन
29.	एस्टाजोलम		8—क्लोरो-6-फैनिल-4 एच-एस-ट्रायाजोलो (4-3-ए) (1,4-बैंजोडायाजैपिन)
30.	एथिनामेट		1, ए-थिनामाइक्लो- एक्सानो—कार्बमेट
31.	एथिल लोफलाजेपेट		एथिल-7 - क्लोरो-5- (ओ-फ्लुओरेफिनल) —2,3, डाइ-हाइड्रो-2-ओक्सो 1 एच. 1, 4—बैंजोडायाजैपिन—3 कार्बा-क्सीलेट
32.	फ्लुडाइएजैपाम		7—क्लोरो-5- (ओ-फ्लुओ-फैनिल) —1,3, डाइहाइड्रो 1—मैथिल-2 एच-1, 4 बैंजो-डायाजैपिन-2-वन
33.	फ्लुनाइट्राजेपाम		5-(ओ-फ्लुओरोफेनिल); 1,3 डाइहाइड्रो-1-मैथिल 7-नाइट्रो-2-एच-1, 4-बैंजोडायाजैपिन 2-वन
34.	हैलाजेपाम		7-क्लोरो-1, 3-डाइहाइड्रो-5-फैनिल-1 (2,2,2-ट्राइ-फ्लओरोएथिल)-2, एच-1, 4-बैंजोडायाजैपिन-2-वन
35.	हैलाक्साक्साजोलम		10-ब्रोमो-11 बी-(ओ-फ्लुओरोफैनिल)-2,-3, 7,11 बी-टैट्राहाइड्रो, आक्सो-जोलो (3,2-डी) (1,4) बेंजोडायाजापन-6 (5-एच)—वन

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)
36. केटाजोलम			11-क्लोरो-8, 12बी-डाइहाइड्रो-2,8, डाइमेथिल-12-बी फैनिल-4 एच-(1, 3) 1-आक्सजिनो-3(3,2-डी) (1,4) बेंजोडायाजैपिन-4,(6एच)-डाइवन
37. लैफेटामिन	एस. पी. ए.		(—)—1—डाइमैथिल एमिनो-1, 2-डाइफेनिल एथेन
38. लोप्राजोलम			6-(ओ-क्लोरोफेनिल)-2, 4- डाइहाइड्रो 2-(4-मैथिल—1—1—पिपेराजिनिल) मैथिलिन)-8—नाइट्रो-1 एच-इमिडाजो (1,2, ए) (1, 4) बेंजोडायाजैपिन-1-वन
39. लोमेटाजेपाम			7—क्लोरो-5 (ओ-क्लोरोफैनिल)-1,3,- डाइहाइड्रो-3 — हाइड्रोक्सी—1—मैथिल 2 एच-1,4-बेंजोडायोजेपिन-2—वन
40. मैंड्रिलडोल			5—(पी—क्लोरोफेनेलिल)—2,5 डाइहाइड्रो-3 एच इमिडाजो (2, 1-ओ) थाइसोहन्होल-5- ओ एल
41. मैडाजेपाम			7—क्लोरो-2, 3-डाइहाइड्रो-1-मैथिल 5-फेनिल-1-एच 1, 4,-बेंजोडायाजैपिन
42. मेथिप्राइलोन			3, 3-डाइएथिल-5-मेथिल-2, 4-पिपेनिडिन-डाइओन
43. नाइमेटाजेपाम			1, 3-डाइहाइड्रो-1-मेथिल-7-नाइट्रो-5-फेनिल- 2एच-1, 4-बेंजोडायाजैपिन-2-वन
44 ओक्साजोलम			10-क्लोरो- 2, 3, 7, 11 बी-टेट्राहाइड्रो-2-मेथिल--11-बी फेनिलओक्साजोलो (3, 2-डी) (1,4) बेंजोडायाजैपिन 6 (5 एच)-वन
45. फेन्डिमेट्राजीन			(+)-3, 4-डाइमेथिल 2-फेनिलमार्फोलिन
46. फेंटरमीन			**डाइएथिल फेनीलिथल एमिन
47. पिनाजेपाम			7-क्लोरो-1, 3-डाइहाइड्रो-5-फेनिल-1-(2-प्रोपिनिल) 2-एच-1, 4-बेंजोडायाजैपिन-2-वन
48. पिप्राड्रोल			1, 1-डाइफेनिल-1-(2-पिपेरिडिल)- मेथानिल
49. प्राजेपाम			7-क्लोरो-1-(साइक्लो-प्रोपिलपेथिल- 1, 3-डाइहाइड्रो- 5-फेनिल-2 एच-1, 4-बेंजोडायाजेपिन 2-वन
50. टेमपाजेपाम			7-क्लोरो-1, 3-डाइहाइड्रो-3-हाइड्राक्सी-1-मेथिल-5-फेनिल-2 एच--1-4- बेनजोडायाजेपिन--2-वन
51. टेट्राजेपाम			7-क्लोरो-5-(साइक्लो-हेक्सिन)-1-वाई एल.-1,3-डाइहाइड्रो-1-मेथिल-2 एच--1-4, बेंजोडायाजेपिन-2-वन
52. ट्रियाजोलाम			8-क्लोरो-6-(ओ-क्लोरो-फेनिल)- मेथिल-4, एस-ट्रियाकोलो- (4, 3, ए) (1, 4) बेंजोडायाजैपिन
53. लवण और उपरोक्त का विनिर्मितियां।			

अनुसूची 2

नियम 55 (1) देखिए

मन : प्रभावी पदार्थ

अंतराष्ट्रीय अ-एकायत	अन्य अ-एकायत	रासायनिक नाम
(1) (2)	(3)	(4)
1.	डी.ई.टी.	एल.एस डाइएथिल ट्रिप्टेमीन
2.	डी.एम एस. पी.	3-(1—2—डाइमैथिल होप्टाइल) 1—हाइड्राक्सी—7,8, 9, 10—टेटाहाइड्रो—6,6,9 ट्राइमैथिल 6 एच डाइबेंजो (बी.डी.) पाइरन
3.	डी. एम टी.	एस.एन. डाइमैथिल ट्रिप्टेमीन
4. (+) लाइसर्जाइड एस.एम डी. एस.एम.डी.—25		(25) एन. एन. डाइ-एथिल लाइसर्जमाईड (डी.एलएसडी कज्जन डाइएथिलामाइड)
5. (+)	मैस्केलीन	3,4,5 ट्राइमैथाएक्सीफेनिथिल मीन
6.	पैराहेक्सिल	3. हैक्सिल-1—हाइड्राक्स, 7,8,9,10— टैटाहाइड्रो 6, 6, 9-ट्राइमथिल 6 एच डाइबेंजो(बी डी.)पाइरन
7. एटीमाइक्लीडाइन	प—र्म—ई—	एस-एथिल—1—फैनिल साइक्लोहक्सील ऐमीन

IndiaCode

1	2	3	4
8.	रोलीसाइक्ली-डाइन	पी.एच. पी. पी.सी पी.वाई. साइलोसाइन साइलोटसिन	1. (1—फैनिल साइक्लो हैक्सील फाइरोलीडाइन) 3-(2-डाइमेथिल ऐमीनो) एथिल (4—हाइड्राक्सी) इंडोल
10.	साइलोसाइबिन		3-(2-डाइमेथिल ऐमिनो-एथिल) इंडोल-4-वाई(एल डाइहाइड्रोजन फास्फेट)
11.		एस.टी.पी डी. ओ.एम.	2—ऐमीनो-1 (2,5 डाईमैथोक्सी 4—मैथिल फैनिलप्रोपेन
12.	टैनोसाइक्लीडीन	टी.सी. पी.	1—(1) 2—थाऐनिल (साइक्लो होक्सिल) पिपेरिडीन
13.		टी.एच.सी.	टेट्राहाइड्रोकनाविनोल्स निम्नलिखित समाव्यवी—△ए △(10 ए) △6ए(7) △7. △8. △9 △10ए△(11) और उनके त्रिविम रासायनिक रूपभेद
14.		डी.ओ. बी.	2,5, डाइमैथाक्सी 4 ब्रोमो एम्फिटैमिन
15.		एम.डी. ए.	3,4—मैथिलीन डाइ-आक्सी—एमफेटेमिन
16.	एम्फेटेमिन		(+) -2ऐमीनो-1—फैनिल प्रोपेन
17.	डैक्साम्फेटेमिन		(+)—2—मेमीनो-1 प्रोपेन
18.	मैक्लोक्वेलोन		3—(ओ-क्लोरोफेनिल) 2 मैथिल 4(3—एच) क्विनेजौलिनोन
19.	मैथेमफेटामिन		(+) 2 मैथिलएमिनों—1 फैनिलप्रोपेन 35
20.	मैथेक्वेलोन		2—मैथिल 3 ओंटोलिल-4 (2 एच) क्विनेजैलिनोन
21.	मैथिलफैनिडेट		2—फनिल 2(2पिपैरिडिल) ऐसेटिक अम्ल मैथिल एस्टर
22.	फेन्सीक्लाइडीम	पी.सी.पी.	1-(1—फैनिस साइक्लोहैक्सिल पिपेरिडीन)
23.	फेनमेट्राजीन		3—मैथिल-2-फैनिल माफॉलीन
24.	लवण और उपरोक्त की विनिर्मितियां		

अनुसूची 3

[नियम 58(3) देखिए]

(1)	(2)	(3)	(4)
मन : प्रभावी पदार्थ			
5.	1.	ब्रमोबार्बिटल	5—एथिल-5 (3-मैथिल-ब्यूटिल) बार्बिट्यूरिक अम्ल
	2.	साइक्लोबार्बिटल	5-(1—साइक्लोनैक्सैन 1—वाई एल)—5—एथिल-बार्बिट्यूरिक अम्ल
	3.	ग्लुटिथिमाइड	2—एथिल—2—फैनिलग्लुटारिमाइड
	4	पैंटाजौसीन	1,2,3,4,5,6—हैक्साहाइड्रो-6, 11—डिमेथिल-3-(3—मेथिल —2—ब्यूटीनिल)— 2,6 मैथानो-3-बेंजोसिन-8-ओ. एल.
	5.	पैंटोबार्बिटल	5—एथिल-5-(1-मैथिल-ब्यूटिल) बार्बिट्यूरिक अम्ल
	6.	सैकोबार्बिटल	5—ऐलिल-5 (1—मैथिल-ब्यूटिल) बार्बिट्यूरिक अम्ल
	7.	लवण और उपरोक्त की विनिर्मितियां	

प्ररूप सं. 1 प्रभाग

(नियम 7 देखिए) फसल मौसम जिसके लिए विधिमान्य है

भारत सरकार

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो

अफीम या अफीम पोस्ततृण के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त उपजाने की अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्तिधारी का नाम और उसके मातापिता के नाम	ग्राम	परगना जिला/तहसील	अनुज्ञप्ति संख्या	अनुज्ञप्त क्षेत्र	राजस्व अभिलेख के अनुसार प्लाट सं०
1	2	3	4	5	6
			हैक्टर	क्षेत्र	हस्ताक्षर
		मापागया क्षेत्र			 उप निरीक्षक
		जांच मापित क्षेत्र			 (निरीक्षक) डी. ओ. ओ.
		फसल कटाई क्षेत्र			 उप निरीक्षक

जिला अफीम अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

(तोल के समय की आने वाली प्रविष्टियां)

प्लाट सं.	डी. ओ. ओ० द्वारा अनुदेशित अफीम का वर्ग	अफीम का भार (कि ग्रा.)	70°सें. पर कल्पित भार (कि ग्रा.)	70°से. पर कल्पित भार के आधार पर संदेय कीमत	कारखाने में अफीम की अंतिम परीक्षा तक रोकी गई राशि	तोल लेने के समय संदत्त राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अंतिम संवाय के समय की आने वाली प्रविष्टियां

कारखाने की रिपोर्ट के आधार पर 70° सें. पर अफीम का कुल भार	खेतिहर को औसत उपज	कारखाने की रिपोर्ट के आधार पर संदेय कुल राशि	तोल के समय पहले ही संदत्त राशि	अंतिम संवाय के समय बसूली गई राशि
8	9	10	11	12

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा—और अफीम या अफीम पोस्तनृण के उत्पादन के लिए अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट भूमि क्षेत्र और प्लाट (प्लाटों) में ही अफीम की खेती करेगा।

2. उस भूमि की बाबत जहां खेतिहर अफीम पोस्त की खेती की जाती है, कोई मुकदमें बाजी नहीं की जा सकेगी।

3. अनुज्ञप्तिधारी फसल से प्राप्त अफीम के संग्रहण नियत लम्बरदार द्वारा वजन करवाएगा और लम्बरदार द्वारा की गई प्रत्येक प्रविष्टि के सामने लम्बरदार द्वारा की गई ऐसी प्रविष्टि की शुद्धता के सबूत स्वरूप अपना हस्ताक्षर करेगा, अंगूठा-निशान लगाएगा तथा स्वापक औषधि विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्राम में पूरे किए गए प्रारम्भिक तोलों को मानेगा जिसके दौरान वह उसके द्वारा संग्रहित संपूर्ण मात्रा प्रस्तुत करेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी तोल के लिए नियत और अधिसूचित स्थान पर उसके द्वारा फसल से संग्रहीत सभी अफीम और परिदान करेगा तथा उसके द्वारा इस प्रकार लाई गई अफीम के लिए वह कीमत स्वीकार करेगा जो उस फसल वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाती है।

5. अनुज्ञप्तिधारी, या तो स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से, तोल के समय अफीम का परिदान करेगा तथा उसकी अफीम का वजन, जिला अफीम अधिकारी या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के नियम 15 के अनुसार स्वापक औषधि आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की देखरेख में किया जाएगा।

6. यदि अनुज्ञप्तिधारी, अफीम का अपना समस्त उत्पादन सरकार को समर्पित नहीं करता है या उसके किसी भाग को रख लेता है, उसका गबन करता है या अन्यथा अवैध रीति से व्ययनीत करता है तो वह स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार अभियोजित किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी उतनी ही अफीम निकालेगा जितनी उसके द्वारा अफीम संग्रहण में उपयोग किए गए उपकरणों, बर्तनों और कपड़ों से उचित रूप से संभव हो तथा जितना ऐसे उपभोग के परिणामस्वरूप अफीम में अन्तर्गर्भित हो।

8. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिदत्त की गई अफीम के लिए इसे अंतिम संवाय ऐसे उचित समय पर किया जाएगा जो जिला अफीम अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी नियत करे।

9. यदि लेखा का अंतिम समायोजन करने पर कोई रकम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शोध्य पायी जाए तो वह इसका संवाय जिला अफीम अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को विनिर्दिष्ट रीति से कर देगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी उसके द्वारा शोध्य रकम का संवाय करने में असफल रहता है तो इस रकम की बसूली स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 72 द्वारा विहित रीति से उससे की जाएगी।

10. यदि अनुज्ञप्तिधारी के जिसकी कोई ऐसा तथ्य प्रकट होता है जो उसे अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के लिए अपात्र बनाता है तो अनुज्ञप्ति किसी भी समय जब्त या रद्द कर दी जाएगी।

11. अनुज्ञप्तिधारी स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों और स्वापक औषधि विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करेगा।

12. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति की शर्तों के किसी उल्लंघन के लिए स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के सुसंगत उपबन्धों के अधीन दंड का भागी होगा।

IndiaCode

प्ररूप सं. 2

अफीम या पोस्त तृण के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी हेतु आवेदन

(नियम 8 देखिए)

1. खेतिहर का नाम (फसल वर्ष) (मौसम) . . .

2. पिता का नाम

3. ग्राम/तहसील/जिला

4. उस भूमि के प्लाट की खसरा संख्या जिसमें पोस्त की खेती होगी . .

5. क्या राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्लाट आवेदक के नाम में है ? यदि नहीं तो किसके नाम में है ?

6. क्या स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट प्लाट में सिंचाई की सुविधाएं है ? (उपलब्ध सिंचाई की सुविधा की किस्म यथा: कुआ, नल कुआ, आदि) . .

7. अफीम पोस्त खेती के लिए अपेक्षित क्षेत्र . . .

8. क्या आवेदक ने पहले पोस्त की खेती की है, यदि हां तो यह नवीनतम वर्ष जिसमें पोस्त की खेती की ।

9. क्या आवेदक को कभी पोस्त की खेती करने से अभिनिषिद्ध या अपमिश्रित अफीम निर्विदत्त करने, अधिक खेती करने या विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन करने से उसकी अनुज्ञप्ति समाप्त कर दी गई थी ? यदि हां तो अभिनिषिद्ध करने का वर्ष और कारण

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और उस भूमि पर जिसमें अफीम पोस्त की खेती होगी कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।

अनुप्रमाणन
(लंबरदार द्वारा किया जाएगा)

खेतिहर के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

(भारसाधक उपनिरीक्षक द्वारा पूरा किया जाएगा)

अ. पूर्ववर्ती फसल वर्ष के दौरान खेतिहर द्वारा पूरा किया जाएगा ।

फसलवर्ष अनुज्ञप्त क्षेत्र मापा गया क्षेत्र फसल कटाई किया गया क्षेत्र 70° सें. पर औसत उपज

आ. क्या खेतिहर को अधिक खेती और विभागीय अनुदेशों आदि का उल्लंघन करने के लिए अभिनिषिद्ध किया गया है ? यदि हां तो उसकी विशिष्टियां ।

हस्ताक्षर
(भारसाधक उपनिरीक्षक)

उप-निरीक्षक द्वारा ऊपर अभिलिखित विशिष्टियां मेरे द्वारा सत्यापित की गई है। खेतिहर, अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए पात्र अपात्र है।

हस्ताक्षर (भारसाधक निरीक्षक)

जिला अफीम अधिकारी द्वारा आवंटित क्षेत्र

डी. ओ. आ. के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप सं. 3

(नियम 37 देखिए)

विनिर्मित औषधि के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं जारी करने की तारीख को पर अवस्थित परिसर में निम्नलिखित विनिर्मित औषधियों का विनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्त किया जाता है:

औषधि का नाम

मात्रा

(1)

(2)

2 अनुज्ञप्ति, तारीखसे तारीखतक प्रवृत्त रहेगी।

3 अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन होगी जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

हस्ताक्षर

तारीख :

पदनाम

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं है।

2. प्रवृत्त अनुज्ञप्ति या नवीकरण का कोई प्रमाण-पत्र, अनुमोदित परिसर में रखे जाएंगे और उस अधिकारी के अनुरोध पर प्रस्तुत किए जाएंगे जो उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा भेजा गया हो।

3. अनुज्ञप्तिधारी औषधि या औषधि के विनिर्माण के लिए उपयोग की गई सामग्री को अपने कारबार के स्थान के सिवाय किसी अन्य स्थान में विनिर्माण नहीं करेगा या उनको रखेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी, औषधि का विनिर्माण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) द्वारा या उसके अधीन अधिकथित मानक और विनिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करेगा।

5. यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहता है तो वह अपनी अनुज्ञप्ति की समाप्ति के कम से कम तीस दिन पूर्व विहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के अधीन चल रही फर्म के गठन में हुए किसी परिवर्तन की दशा में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा। जहां किसी फर्म के गठन में परिवर्तन होता है वहां चालू अनुज्ञप्ति, परिवर्तन होने की तारीख से तीन मास की अधिकतम अवधि तक या अनुज्ञप्ति की प्राथमिक समाप्ति तक ही, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य समझी जाएगी और इस बीच अनुज्ञापन प्राधिकारी सं. परिवर्तित फर्म के नाम में नयी अनुज्ञप्ति ले ली जाएगी।

प्ररूप सं. 4

(नियम 55 देखिए)

जारी करने वाले प्राधिकारी की शासकीय मुद्रा

क्रम सं.

फा. सं.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आयात के प्राधिकारिक अनुमोदन का प्रमाणपत्र

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985

..... (जारी करने वाला प्राधिकारी) जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के अधीन आयात प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सशक्त प्राधिकारी है— मैसर्सद्वारा मैसर्स से नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ वाले परेषण का भारत में आयात का अनुमोदन करता है, किन्तु यह इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि ऐसी औषधि या ऐसे पदार्थ वाले परेषण से पूर्वद्वारा को (समुद्रपत्तन से) भारत में आयातित कर लिया जाएगा।

विनिर्दिष्ट औषधि या पदार्थ वाले परेषण के आयात का अनुमोदन करने में (जारी करने वाला प्राधिकारी) का यह समाधान हो गया है कि ये केवल चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है।

जारी करने वाले प्राधिकारी का पता

जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम

अनुसूची जिसमें आयात किए जाने वाले परेषण में अंतर्विष्ट स्वापक औषध या मनःप्रभावी पदार्थ विनिर्दिष्ट है।

1 यह दस्तावेज (वह प्राधिकारी जिसको और वह प्रयोजन जिसके लिए यह भेजा जा रहा है उपदर्शित किया जाए) के लिए है।

2. प्रमाण पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उस पर ऊपर दायें भाग में ऊपर जारी करने वाले प्राधिकारी की शासकीय मुद्रा नहीं लगी हो।

प्ररूप सं. 5 जारी करने वाले प्राधिकारी
(नियम 58 देखिए) की शासकीय मुद्रा
फाम सं.
फा.सं.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

निर्यात के शासकीय अनुमोदन का प्रमाण-पत्र
(स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985)

. , जो स्थापक औषधि और मनः
(जारी करने वाला प्राधिकारी)

प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के अधीन निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए सशक्त प्राधिकारी है, भारत से स्थापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थों के निम्नलिखित आयात का प्राधिकार और अनुज्ञा देता है :—

निर्यातकर्ता

परेषिती

निर्यात का पत्तन प्रवेश का पत्तन

निर्यात किए जाने वाले स्थापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ

मद सं.	पैकेजों की संख्या	औषधि/पदार्थ विनिर्मिति का नाम	आधारी औषधि/पदार्थ अंतर्वस्तु
1			
2			
3			

नियोत, एक परेषण में, तारीख को या उसके पूर्व अभिहित पत्तन से किया जाएगा ।

औषधि के आयात का अभिहित देश में करने के लिए द्वारा (आयात करने वाले देश का प्राधिकारी) जारी किए अधिक रिक आयात प्रमाणपत्र सं. तारीख द्वारा प्राधिकृत किया गया है ।

जारी करने की तारीख :

जारी करने का स्थान जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम

1. यह दस्तावेज . . . (वह प्राधिकारी जिसकी ओर यह प्रयोजन जिसके लिए यह भेजा जा रहा है उपदर्शित किया जाए) के लिए है ।

2. प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उस पर उसके दायें भाग में ऊपर जारी करने वाले प्राधिकारी की शासकीय मुद्रा नहीं लगी हो ।

प्ररूप सं. 6

[नियम 58(3) देखिए]

छह चार प्रतियों में भरा जाए

स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 की अनुसूची III में सूचीबद्ध मनः प्रभावी पदार्थ के निर्यात के लिए

1. निर्यातकर्ता : नाम :
पता :

2. आयातकर्ता : नाम .
पता :

(टिप्पण: डाकघर बक्से में परेषण का निर्यात अनुज्ञात नहीं है) ।

3. उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध मनःप्रभावी पदार्थ (पदार्थों) और ऐसे मनःप्रभावी पदार्थों वाली विनिर्मितियों के निर्यात की दशा में

(क) अंतर्राष्ट्रीय अ-स्वामित्व नाम या यदि ऐसा नाम नहीं हो तो उस अनुसूची में ऐसे पदार्थ (पदार्थों) के नाम और अभिनाम :

(ख) निर्यात किए जाने वाले ऐसे पदार्थ (पदार्थों) की मात्रा।

4. उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध पदार्थ (पदार्थों) वाली विनिर्मिति(यों) के निर्यात की दशा में।

(क) उसमें अंतर्विष्ट ऐसे पदार्थ (पदार्थों) का (के) अंतर्राष्ट्रीय अ-स्वामित्व नाम और ऐसा नाम न हो तो उस अनुसूची में ऐसे पदार्थ (पदार्थों) का (के) अभिनाम :

(ख) निर्यात की जानेवाली ऐसी विनिर्मिति(यों) का (के) नाम और अंतर्वस्तु या सक्रिय घटक :

(ग) निर्यात की जाने वाली ऐसी विनिर्मिति(यों) की मात्रा :

(घ) निर्यात की जाने वाली ऐसी विनिर्मिति (यों) की कुल मात्रा में अंतर्विष्ट ऐसे प्रत्येक पदार्थ की कुल मात्रा :

(ङ) भेषजीय आकार जिसमें (जिनमें) ऐसी विनिर्मिति(यां) निर्यातित की जाएगी (यथा एम्पूल, गोली, चूर्ण आदि)
प्रेषण की तारीख अधोहस्ताक्षरी यह घोषणा करता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई ऊपर की जानकारी उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सही है ।

निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख :

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

अनुपालन के लिए अनुदेश

1. घोषणा की मूल और दूसरी प्रतियां निर्यातकर्ता द्वारा तुरन्त भारत के स्थापक आयुक्त, 19 मान, मोरार, ग्वालियर-474006 को प्रस्तुत की जानी और तीसरी प्रति उनके द्वारा निर्यातित परेषण के साथ भेजी जानी किन्तु इस प्रकार कि यह उन व्यक्तियों का ध्यान लदाई की प्रकृति की ओर आकृष्ट नहीं करे जो उसे अनुचित प्रयोजनों के लिए अपयोजन कर सकते हैं । चौथी प्रति निर्यातकर्ता द्वारा अपने अभिलेख के लिए रखी जा सकती है ।

2 अपेक्षित जानकारी इस प्रकार दी जानी जिससे कि वह लदाई में पदार्थों और विनिर्मितियों की पहचान को सत्यापित करने में नियंत्रण अधिकारियों के कार्य को सुकर बना सके । विनिर्मितियों के संबंध में दी जाने वाली जानकारी का ब्रांड नाम ही देना पर्याप्त होगा यदि यह निरापद रूप से आशा की जा सकती हो कि यह नाम नियंत्रण अधिकारियों को अस्पष्ट रूप से, लदाई में विनिर्मितियों के सक्रिय घटकों को अंतर्वस्तु को उपदर्शित कर देगा अन्यथा ऐसे सक्रिय घटकों पर पूर्ण जानकारी अपेक्षित है।

IndiaCode

परेषण पत्र क्रम सं०.....

(मन प्रभावी पदार्थों के परेषण के साथ रखाने के वास्ते)

प्रपत्र सं. 7

(नियम 67 देखिए)

परेषण भेजने की तारीख और समय

1. परेषक (विनिर्माता/व्यौहारी/वितरक) का नाम और पता और उसकी अनुज्ञप्ति सं. आदि (जो औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन जारी की गई है)

2. परेषिती (विनिर्माता/व्यौहारी/वितरक) का नाम और पता और उसकी अनुज्ञप्ति सं. (जो औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन जारी की गई है)

3. परेषण का विवरण और मात्रा

(क)	(ख)	(ग)
1945 के नियम की अनुसूची के प्रति निर्देश के साथ औषधियों की विशिष्टियाँ व्यापार चिह्न; पेटेंट और एकायत्त नाम आदि की	पैकेजों की संख्या	मात्रा शुद्ध

4. परिवहन का साधन (परिवाहक की विशिष्टियाँ यान का रजिस्ट्रीकरण सं. रेल की रसीद यदि परिवहन रेल द्वारा होना है)

5 परेषिती द्वारा प्राप्त होने की तारीख और समय और उसकी टिप्पणियाँ।

परेषिती के हस्ताक्षर और तारीख

(नाम बड़े अक्षरों में)

परेषक के हस्ताक्षर और तारीख
(नाम बड़े अक्षरों में)

टिप्पण

(1) इस परेषण पत्र को वार्षिक आधार पर क्रमांकित किया जाना चाहिए।

(2) परेषक को प्रत्येक बुक के आवरण पृष्ठ पर, ऐसी परेषण पत्र बुक में विद्यमान पृष्ठों का उल्लेख करते हुए एक प्रमाणपत्र लखबद्ध करना चाहिए।

(3) परेषक को एक रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें किसी विनिर्दिष्ट वर्ष के दौरान उपयोग में लाए गए परेषण पत्र बुक के ब्यौर दर्शाए जाएंगे।

(4) उपयोग में लाए गए या वर्तमान में उपयोगाधीन परेषणपत्र बुक, और ऊपर मद (3) में विनिर्दिष्ट रजिस्टर अधिकारी के समक्ष उनके निरीक्षण के दौरान, जब वे मांगे जाएं, प्रस्तुत किए जाएंगे।

[संख्या 10/85/फा. सं. 661/51/85-ओपियम]

बी. आर. रेड्डी, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 14th November, 1985

NOTIFICATION

THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES RULES, 1985

G.S.R. 837(E).—In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76, of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, and commencement (1) These Rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "the Act," means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);

(b) "Appellate Authority" means any authority to whom an appeal may lie under any provision of these rules;

(c) "Chemical Examiner" means the Chemical Examiner, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or, as the case may be, Ghazipur;

(d) "Chief Controller of Factories" means the Chief Controller of Government Opium and Alkaloid Factories;

(e) "crop year" means the period beginning on and from the 1st October of any year to the 30th September of the following year;

(f) "General Manager" means the General Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or, as the case may be, Ghazipur;

(g) "Issuing authority" means the Narcotic Commissioner or any other officer who may be authorised in this behalf by the Central Government for issuing a licence under Chapter V of these rules or issuing an import certificate or export authorisation under Chapter VI of these rules in respect of narcotic drugs or psychotropic substances;

(h) "licence" means a licence issued under these rules;

(i) "Proper Officer", in relation to any function to be performed under these rules, means the officer of Narcotics Department who is assigned those functions by the Narcotics Commissioner;

(j) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;

(k) words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

POWERS OF OFFICERS

3. Delegation of powers.—Subject to such directions as may be given by the Central Government, the Narcotics Commissioner appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 5 of the Act, may authorise any officer subordinate to him, to exercise all or any of his powers under these rules.

4. Narcotics Commissioner and other officers to exercise the powers of their subordinates.- The Narcotics Commissioner and such other officer as may be appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 5 of the

Act may perform all or any of the functions, or exercise any of the powers, assigned under these rules to the officers subordinate to them.

CHAPTER III

OPIUM POPPY CULTIVATION AND PRODUCTION OF OPIUM AND POPPY STRAW

5. Opium poppy cultivation and production of opium or poppy straw.—The opium poppy for production of opium or poppy straw shall not be cultivated save on account of the Central Government and in the tracts notified by it from time to time and in accordance with the conditions of a licence issued by the District Opium Officer under rule 8.

6. Fee for Grant of Licence.—The licence for cultivation of opium poppy may be granted by the District Opium Officer on payment of a fee of rupees five.

7. Form of Licence for cultivation of the opium poppy.—The licence for cultivation of opium poppy for the production of opium or poppy straw shall be issued in Form No. 1 appended to these rules.

8. Issue of licence.—Subject to the general conditions relating to grant of licences notified by the Central Government, the District Opium officer may issue licence to any person for a crop year for cultivation of the opium poppy for production of opium or poppy straw on receipt of an application made by that person in Form No. 2 appended to these rules.

9. Licence to specify the area, etc.—The licence for cultivation of opium poppy issued under rule 8 shall specify the area and designate the plots to be cultivated with opium poppy.

10. Designating of Lambardar.—The District Opium Officer may designate one of the cultivators of opium poppy as Lambardar in each village where opium poppy cultivation is permitted, who shall perform such functions and on such terms and conditions as may be specified from time to time by the Narcotics Commissioner.

11. Withholding or cancellation of Licence.—(1) An officer higher in rank than the District Opium Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, withhold or cancel a licence already issued.

(2) No order shall be passed under sub-rule (1) unless the cultivator has been given a reasonable opportunity of showing cause against the said order or is heard in person, if he so desires.

(3) Where opium poppy has been cultivated under a licence which is subsequently withheld or cancelled, the standing crop, if any, shall be destroyed under the supervision of the proper officer in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.

12. Procedure with regard to measurement of land cultivated with opium poppy.— (1) All plots of land cultivated with opium poppy in accordance with the licence issued under these rules, shall be measured in metres by the proper officer in the presence of the cultivator concerned and the Lambardar of the village and the concerned cultivator and the Lambardar of the village shall attest the entries made in the records to be maintained by the Lambardar, as may be specified by the Narcotics Commissioner in this behalf, under their signature/thumb impression with date, in token of having satisfied themselves regarding the correctness of the measurement.

(2) The measurement conducted by the proper officer shall be subject to such further checks by such officers as may be specified by the Narcotics Commissioner in this behalf.

13. Procedure with regard to preliminary weighment—(1) The cultivator shall, during the course of harvesting, produce daily before the Lambardar, each day's collection of opium from his crop for weighment.

(2) The Lambardar shall make arrangements to weigh such opium and make necessary entries in the records to be maintained by him as may be specified by the Narcotics Commissioner in this behalf.

(3) The cultivator and the Lambardar shall attest the entries made in such records under their signature/thumb impression with date, showing the quantity of opium weighed on a particular day.

(4) The proper officer shall conduct check weighment of the opium collected by the cultivators with reference to the entries in the Lambardar's record and indicate his finding therein which shall be attested by him and the Lambardar under their signature with date.

(5) The variations between the quantity of opium produced by the cultivator indicated in the Lambardar's record and as found by the proper officer during his check, shall be inquired into by the proper officer in order to ascertain the liability of the cultivator for punishment under section 19 of the Act.

14. Delivery of opium produced.—All opium, the produced of land cultivated with opium poppy, shall be delivered by the cultivators to the District Opium Officer or any other officer duly authorised in this behalf, by the Narcotics Commissioner at a place as may be specified by such officer.

15. Opium to be weighed, examined and classified.—All opium delivered by the cultivators to the District Opium Officer or any other officer authorised as aforesaid, shall, in the presence of the concerned cultivator or any person authorised by him and the Lambardar of the village, be weighed, examined and classified according to its quality and consistence and forwarded by the District Opium Officer to the Government Opium Factory in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.

16. Procedure where cultivator is dissatisfied with classification of opium.—Any cultivator who may be dissatisfied with the classification of his opium done by the officer referred to in rule 15 may have it forwarded by such officer to the Government Opium Factory separately, after having it properly sealed in his presence and in the presence of the concerned Lambardar.

17. Procedure for sending opium suspected to be adulterated.—When opium delivered by a cultivator to the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf, is suspected of being adulterated with any foreign substance, it shall be forwarded to the Government Opium Factory separately, after it is properly sealed in the presence of the cultivator and the concerned Lambardar.

18. Drawing of samples from opium sent to Government Opium Factory under rule 16 or rule 17.—The sealed opium received separately in accordance with rule 16 or rule 17, shall be opened and sample drawn thereof in the presence of the cultivator, if he so desires, to whom, a notice intimating the date and time in this behalf, shall be sent well in advance.

19. Fixation of price of opium.—(1) The Central Government shall, from time to time, fix the price of opium, to be paid to the cultivators, in such manner as it may deem fit.

(2) Such price shall be fixed per kilogram of opium of a standard consistence.

20. Provisional payment of price.—(1) The District Opium Officer shall, having regard to the weight and consistence of opium delivered by individual cultivators, work out the weight of such opium at the standard consistence and determine provisionally the total price payable to such cultivators.

(2) The said officer, shall, pay to the cultivators, ninety per cent of the price so determined which shall be subject to adjustment against the final price payable to the cultivators to be determined as provided hereinafter.

21. Weighment and examination of the opium at the Government Opium Factory.—The opium forwarded by the District Opium Officer shall be received, weighed, examined and classified in the Government Opium Factory under the supervision of the General Manager in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.

22. Confiscation of adulterated opium.—All such opium received separately under rule 17, if found to be adulterated on examination by the Chemical Examiner in the Government Opium Factory may be liable to confiscation by the General Manager.

23. Adjudication of confiscation of adulterated opium.—No such confiscation shall be ordered by the General Manager unless the concerned cultivator is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order and is heard in person, if he so desires.

24. Determination of final price of opium.—(1) Subject to rule 21, the final price of opium payable to the cultivator shall, having regard to the price fixed be the Central Government under rule 19, be determined by the General Manager on the basis of analysis report of the Chemical Examiner or such other officers as may be authorised in this behalf by the Chief Controller of Factories and communicated to the concerned District Opium Officer.

(2) The price payable in respect of any opium which is delivered to the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf under rule 14 and is not initially suspected to be adulterated but found to be adulterated on examination in the Government Opium Factory, shall be subject to reduction at such rates as may be specified by the Central Government.

25. Adjustment of cultivators' account and recovery of dues from the cultivators.—The accounts of the cultivators for a particular crop year shall be adjusted by the District Opium Officer at the time of issuing of licences for the subsequent crop year and any balance that may remain due from the cultivators shall be recovered and any amount due to them be paid.

26. Weights and scales.—The weights and scales to be used for weighing the opium at the weighment centres and the Government Opium Factory shall be caused to be examined at the appropriate time by the Deputy Narcotics Commissioner or the General Manager, as the case may be.

27. Cultivation of opium poppy for exclusive production of poppy straw.—The Central Government may, if it considers it expedient so to do, permit cultivation of the opium poppy for the exclusive production of poppy straw in accordance with a licence issued under rule 8 in such tracts and subject to such conditions as may be specified by it, by notification in the Official Gazette, in this behalf:

Provided that the poppy straw produced by the cultivators as a result of the cultivation of opium poppy for production of opium, shall be deemed to have been produced under a valid licence issued under rule 8.

28. Appeals to the Deputy Narcotics Commissioner and Narcotics Commissioner.—(1)(a) Any person aggrieved by any decision or order made or passed under these rule relating to refusal, withholding or cancellation of a licence for opium poppy cultivation by an officer of the Narcotics Department, lower in rank than the Deputy Narcotics Commissioner, may appeal to the Deputy Narcotics Commissioner within thirty days from the date of the communication to him of such decision or order.

(b) Notwithstanding anything contained in clause (a), if the decision or order regarding withholding or canellation of licence for opium poppy cultivation is passed by the Deputy Narcotics Commissioner, such appeal shall lie to the Narcotics Commissioner :

Provided that the Deputy Narcotics Commissioner or, as the case may be, the Narcotics Commissioner may, if he is satisfied that the appellant was prevented from submitting his appeal within the time limit specified in clause (a) due to reasons beyond his control, allow such appeal to be presented within a further period of thirty days.

(2) Every appeal under this rule shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against and shall be in such form and in such a manner as may be specified by the Narcotics Commissioner in this behalf.

29. Appeals to the Chief Controller of Factories.—(1) Any person aggrieved by any decision order made or passed under rule 21 or rule 23 by the General Manager may appeal to the Chief Controller of Factories within thirty days from the date of the communication to him of such decision or order:

Provided that the Chief Controller of Factories may, if he is satisfied that the appellant was prevented from submitting his appeal within the said time limit due to reasons beyond his control, allow such appeal to be presented within a further period of thirty days.

(2) Every appeal under this rule shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against and shall be in such form and in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.

30. Procedure for appeal. (1) The Appellate Authority shall give an opportunity to the appellant to be heard, if he so desires.

(2) The Appellate Authority may, at the hearing of an appeal, allow the appellant to go into any ground of appeal not specified in the grounds of appeal, if the Appellate Authority is satisfied that omission of that ground from the grounds of appeal was not wilful or unreasonable.

(3) The Appellate Authority may, after making such further inquiry as may be necessary, pass such orders as he thinks fit confirming, modifying or annulling the decision or dorre appealed against:

Provided that any order relating to the quantum of adulterated opium to be confiscated in addition to the opium already confiscated under rule 23 shall not be passed unless the appellant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(4) The order of the Appellate Authority disposing of the appeal under this rule shall be in writing and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for the decision.

(5) On the disposal of the appeal, the Appellate Authority shall communicate the order passed by him to the appellant and the officer who passed the order or made the decision appealed against.

(6) No further appeal or revision shall lie against the order passed by the Appellate Authority under this rule.

CHAPTER IV

MANUFACTURE, SALE AND EXPORT OF OPIUM

31. Manufacture of opium.— Opium shall not be manufactured save by the Central Government Opium Factories at Ghazipur and Neemuch :

Provided that opium mixtures may be manufactured from opium lawfully possessed by a person authorised under the rules made by the State Governments for the said purpose.

32. Export of opium.—The export of opium is prohibited save when the export is on behalf of the Central Government.

33. Sale to State Governments or manufacturing chemists.—(1) The sale of opium to State Governments or, as the case may be, manufacturing chemists shall be only from the Government Opium Factory, Ghazipur.

(2) The sale of opium from the Government Opium Factory at Ghazipur to manufacturing chemists shall be only under a permit granted by or under the orders of the State Government within whose jurisdiction the chemist resides or has his place of business in the form prescribed by that Government.

(3) The permit referred to in sub-rule (2) shall be issued, in quadruplicate and,—

(a) the quadruplicate copy shall be retained by the issuing authority and the remaining copies forwarded to the Government Opium Factory, Ghazipur;

(b) the said Factory shall retain the duplicate copy for record, send the original copy with the consignment of opium and return the triplicate copy to the issuing authority after endorsing thereon the quantity actually supplied and the date of despatch.

34. Fixation of sales price of opium.—The price to be charged for opium sold under this Chapter shall be fixed, from time to time, by the Central Government in such manner as it may deem fit.

CHAPTER V

MANUFACTURED DRUGS

35. General Prohibition.—The manufacture of crude cocaine, ecgonine and its salts and of diacetyl morphine and its salts is prohibited.

36. Manufacture of Natural Manufactured Drugs.—(1) The manufacture of cocaine and its salts is prohibited save the manufacture of cocaine hydrochloride by the chemical staff employed under the Central Board of Excise and Customs from confiscated cocaine.

(2) The manufacture of morphine, codeine, dionine, thebaine, dihyrocodeinone, dihydrocodeine, acetyldihydrocodeine, acetyldihydrocodeinone, dihydromorphine, dihydromorphinone, dihydrohydroxycodeinone, pholcodine and their respective salts is prohibited save by the Government Opium Factory.

(3) The manufacture of medicinal hemp shall be under a licence granted by the State Government on payment of such fees and in accordance with such conditions as may be prescribed by that Government in this behalf.

37. Manufacture of Synthetic Manufactured Drugs.—(1) The manufacture of manufactured drugs notified under sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Act (hereafter referred to as the drug) is prohibited save under and in accordance with the conditions of a licence granted by the Narcotics Commissioner or such other officer as may be authorised by the Central Government in this behalf, in Form No. 3 appended to these rules.

(2) A fee of rupees fifty shall be payable in advance to the Central Government for each licence issued under this rule or for renewal thereof.

38. Application for Licence.—Every application for a licence or for renewal thereof under rule 37 shall be in such form as may be specified by the Narcotics Commissioner.

39. Conditions for Issue of Licences.—No licence shall be issued under rule 37 unless the applicant therefor has—

(i) produced to the issuing authority licences granted to him under (a) the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) for the manufacture of the drug, and (b) the rules framed under section 10 of the Act by the State Government of the State in which he has his place of business, for the possession, sale and distribution of the drugs; and

(ii) made a deposit of Rs. 5000/- as security in the manner specified by the issuing authority for the due observance of the conditions of the licence and has furnished proof to the satisfaction of the issuing authority that he is equipped as to the land, building and other paraphernalia to properly carry on the business described in the application and is of good financial standing.

40. Manufacture only from materials law fully possessed.—The licensee shall not manufacture the drug save from materials which he is lawfully entitled to possess.

41. Limits of manufacture.—The issuing authority, while issuing the licence, shall take into account all relevant factors for permitting the quantity of the drug to be manufactured by a licensee including the following:—

(a) quantity allotted by the State Government for processing into any preparation in the licensee's own manufactory.

(b) quantity required for supply to other firms within or outside the country;

(c) quantity required for reasonable inventory:

Provided that the total quantity of the drug manufactured during any one year does not exceed the estimated

requirements of this country for the relevant year as furnished to the International Narcotics Control Board.

42. Security arrangements.—The licensee shall ensure all necessary security arrangements in the manufacturing premises as may be specified by the issuing authority.

43. Advance notice for commencement and cessation of manufacture.—The licensee shall give at least 15 days notice in writing to the issuing authority of the date on which he proposes to commence manufacture of the drug and at least one month's notice before he ceases to manufacture the same.

44. Cessation of manufacture.—Where the licensee ceases manufacturing operations for any reasons whatsoever, he shall forthwith inform the issuing authority in this behalf indicating the date on which he proposes to recommence manufacture:

Provided that the issuing authority may prohibit all further manufacture in case the period of cessation of manufacture exceeds 30 days.

45. Possession, Sale and Distribution.—The licensee shall not possess or sell or distribute the drug otherwise than in accordance with the rules made by the State Government under the Act.

46. Maintenance of Accounts and Submission of Returns.—The licensee shall maintain true accounts of all transactions including the accounts of materials used for the manufacture of the drug, the quantities manufactured, sold or otherwise disposed of and furnish returns in such forms and in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.

47. Inspection of Stocks, etc.—(1) The stocks of the drug and the materials used for its manufacture and all accounts and records of transactions relating thereto, shall be open to inspection by any officer authorised by the issuing authority.

(2) A serially numbered Inspection Book shall be maintained by the licensee in good condition for the use of such officer.

48. Suspension and Revocation of Licence.—(1) Without prejudice to any action that may be taken under the provisions of the Act, the issuing authority may suspend or cancel a licence—

(i) if the licence is transferred or sublet without the prior approval of the issuing authority; or

(ii) in the event of any breach of any condition of the licence; or

(iii) if the licensee is convicted for any offence under the Act or under any other law relating to the narcotic drugs for the time being in force in any State.

(2) No order shall be passed under sub-rule (1) unless the licensee has been given a reasonable opportunity of showing cause against the said order or is heard in person, if he so desires.

49. Appeal.—(1) The licensee may file an appeal against the decision or order made or passed under rule 48 to—

(i) the Narcotics Commissioner where such decision or order was made or passed by any officer subordinate to him; and

(ii) the Board, in any other case; within 30 days from the date of communication to him of such decision or order.

(2) Every memorandum of appeal shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against.

(3) Every appeal under this rule shall be filed in such form and in such manner as may be specified by the Board.

50. Procedure for Appeal.—(1) The Appellate Authority shall give an opportunity to the appellant to be heard in person, if he so desires.

(2) The Appellate Authority may, at the hearing of an appeal, allow the appellant to go into any ground of appeal not specified in the grounds of appeal, if the Appellate Authority is satisfied that omission of that ground from the grounds of appeal was not wilful or unreasonable.

(3) The Appellate Authority may, after making such further inquiry as may be necessary, pass such orders as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against.

(4) The order of the Appellate Authority disposing of the appeal under this rule shall be in writing and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for the decision.

51. Surrender of Licence.—A licensee may, if he so desires, surrender his licence, by giving not less than 15 days' notice in writing to the issuing authority.

52. Disposal of Stocks on Drugs on Cancellation of Licence etc.—Such stocks of drugs as may be in the possession of a licensee, on the expiry or cancellation or surrender of his licence, shall be disposed of in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner in this behalf.

CHAPTER VI

IMPORT, EXPORT AND TRANSHIPMENT OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

53. General Prohibition.—Subject to the other provisions of this Chapter, the import into and export out of India of the narcotic drugs and psychotropic substances specified in Schedule I is prohibited.

54. Import of Opium, etc.—The import of—

(i) opium, concentrate of poppy straw, and

(ii) morphine, codeine, thebaine, and their salts is prohibited save by the Government Opium Factory.

55. Application for Import Certificate.—(1) No narcotic drug, or psychotropic substance specified in Schedule II, shall be imported into India without an import certificate in respect of the consignment issued by the issuing authority, in Form No. 4 appended to these rules.

(2) The importer applying for an import certificate under sub-rule (1) in relation to narcotic drug shall submit along with his application the original or certified copy of the excise permit issued by the concerned State Government.

(3) The application for the import certificate shall state such details as may be specified by the Narcotics Commissioner.

56. Issue of Import Certificate.—(1) The issuing authority shall prepare seven copies of the import certificate referred to in sub-rule (1) of rule 55 and deal with them in the manner hereunder provided, namely:—

(a) (i) original and duplicate copies should be supplied to the importer who should transmit the original

copy to the exporting country and shall produce the duplicate copy at the Customs House, Land Customs Station or Airport where the consignment arrives or, in the case of imports by parcel post, at the post office of delivery, in order to obtain delivery of the consignment of narcotic drugs or psychotrophic substances.

(ii) The Collector of Customs or Post Master shall state on the copy presented by the importer that the narcotic drugs or the psychotropic substances have actually been imported and return the document to the importer who shall indicate on it that he has received the goods.

(iii) The importer shall return the duplicate copy of the import certificate incorporating the endorsement from the Collector of Customs or Post Master and his own endorsement to the issuing authority—(1) where the import certificate relates to narcotic drug, through the excise authorities of the State from which the excise permit for purposes of sub-rule (2) of rule 55 was produced; (2) where the import certificate relates to psychotropic substance, through the Drugs Controller of the concerned State.

(b) Triplicate copy should be supplied to the Collector of Customs concerned who shall return it to the issuing authority along with the copy of the export authorisation to be received at the time of receipt of the consignment from the Government of the exporting country, with an endorsement as to the actual quantity of narcotic drug or psychotropic substance cleared.

(c) Quadruplicate copy of the import certificate in relation to narcotic drug should be supplied to the excise authorities of the State into which the narcotic drug is to be imported, and the said copy of the certificate in relation to psychotropic substance should be supplied to Drugs Controller of the concerned State for comparison with the copy produced before them, by the importer under sub-clause (a) of this sub-rule.

(d) Quintuplicate copy should be supplied to the Government of the exporting country for comparison with the copy furnished to them by the importer under sub-clause (a) of this sub-rule.

(e) Sextuplicate copy should be supplied to the Drugs Controller, Government of India.

(f) Septuplicate copy should be retained by the issuing authority in his office.

(2) An import certificate issued under sub-rule (1) of rule 55 may allow the importation of the quantity of the concerned drug or the substance in more than one consignment.

57. Transit.—Subject to the provisions of section 79 of the Act and rule 53, no consignment of any narcotic drug, or psychotropic substances specified in Schedule II, shall be allowed to be transited through India unless such consignment is accompanied by a valid export authorisation in this behalf, issued by the Government of the exporting country:

Provided that the provisions of this rule shall not apply to the carriage, by any ship or aircraft, of small quantities of such narcotic drugs and psychotropic substances which are essential for treatment of, or medical aid to, any person on board the ship or aircraft.

58. Application for Export Authorisation.—(1) No narcotic drug, or psychotropic substances specified in Schedule II, shall be exported out of India without an export authorisation in respect of the consignment issued by the issuing authority in Form No. 5 appended to these rules.

(2) The exporter applying for an export authorisation under sub-rule (1) shall submit,—

(a) where the export authorisation relates to narcotic drug, alongwith his application the original or an authenticated copy of the excise permit issued by the concerned State Government; and

(b) the import certificate in original, issued by the Government of the importing country certifying the official approval of the concerned Government.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2) the psychotropic substances specified in Schedule III may be exported out of India after the exporter files the original and duplicate copies of the declaration in Form No. 6 with the Narcotics Commissioner who shall transmit the duplicate copy of the declaration to the concerned authority of the importing country requesting that authority to certify on the duplicate copy of the declaration that the actual quantity of psychotropic substance has been duly imported and return the said copy; the triplicate copy of the declaration should be sent, alongwith the consignment of said substances by the exporter to the importing country and the quadruplicate copy thereof may be retained by him.

(4) The application for the export authorisation shal state such details as may be specified by the Narcotics Commissioner.

59. Issue of Export Authorisation.—(1) The issuing authority shall prepare five copies of the export authorisation referred to in sub-rule (1) of rule 58 and deal with them in the manner hereunder provided, namely:—

(a) The original should be supplied to the consignor which shall accompany the consignment.

(b) The duplicate copy should be forwarded to the Collector of Customs of the port who will return it to the issuing authority indicating on it the date of export and the quantity exported.

(c) The triplicate copy should be forwarded to the Government of the importing country.

(d) The quadruplicate copy should be forwarded to the excise authority of the State in which the exporter has his place of business.

(e) Quintuplicate copy should be retained by the issuing authority in his office.

(2) Where the consignment of narcotic drug or psychotropic substance is to be transhipped or transited through one or more countries, such additional number of copies of export authorisation as may be required shall be prepared and sent to the concerned country or, as the case may be, countries.

60. Transhipment.—Subject to the provisions of section 79 of the Act and rule 53, no consignment of narcotic drug, or psychotropic substance specified in Schedule II, shall be allowed to be transhipped at any port in India save with the permission of the Collector of Customs.

61. Procedure for Transhipment.—The Collector of Customs while allowing any consignment of narcotic drug, or psychotropic substances, specified in Schedule II, to be transhipped shall, *inter alia*, satisfy himself that the consignment is accompanied by a valid export authorisation issued by the exporting country.

62. Diversion of Consignment.—(1) The Collector of Customs shall take all due measures to prevent the diversion of such consignment to a destination other than that named in the aforesaid export authorisation.

(2) (a) The Collector of Customs may permit diversion of such a consignment to a country other than that named in the accompanying copy of the export authorisation subject to the production of export authorisation issued by the issuing authority as provided under rule 58, as if the diversion were an export from India to the country, or territory of new destination.

(b) The Collector of Customs shall inform the issuing authority regarding the actual quantity of the narcotic drug or psychotropic substance, the diversion of the consignment of which was allowed under clause (a), whereupon the issuing authority shall, inform the country from which the export of the consignment originated.

63. Prohibition of Import and Export of Consignments through a Post Office Box, etc.—The import or export of consignments of any narcotic drug or psychotropic substance through a post office box or through a bank is prohibited.

CHAPTER VII

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

64. General prohibition.—No person shall manufacture, possess, transport, import inter-State, export inter-State, sell, purchase, consume or use any of the psychotropic substances specified in Schedule I.

65. Manufacture of Psychotropic Substances.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the manufacture of any of the psychotropic substances other than those specified in Schedule I shall be in accordance with the conditions of a licence granted under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 (hereinafter referred to as the 1945 Rules) framed under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), by an authority in charge of Drugs Control in a State appointed by the State Government in this behalf.

(2) The authority in charge of Drugs Control in a State (hereinafter referred to as the Licensing Authority) shall consult the Drugs Controller (India) in regard to the assessed annual requirements of each of the psychotropic substances in bulk form referred to in sub-rule (1) in the country and taking into account the requirement of such psychotropic substances in the State, the quantity of such substance required for supply to other manufacturers outside the State and the quantity of such substance required for reasonable inventory to be held by a manufacturer, shall specify, by order, the limit of the quantity of such substance which may be manufactured by the manufacturer in the State.

(3) The quantity of the said psychotropic substance which may be manufactured by a licencee in a year shall be intimated by the Licensing Authority to the licensee at the time of issuing the licence.

66. Possession, etc. of psychotropic substances.—(1) No person shall possess any psychotropic substance for any of the purpose covered by the 1945 Rules, unless he is lawfully authorised to possess such substance for any of the said purposes under these Rules.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any research institution, or a hospital or dispensary maintained or supported by Government or local body or by charity or voluntary subscription, which is not authorised to possess any psychotropic substance under the 1945 Rules, or any person who is not so authorised under the 1945 Rules, may possess a reasonable quantity of such substance as may be necessary for their genuine scientific requirements or genuine medical requirements, or both for such period as is deemed necessary by the said research institution or, as the case may be, the said hospital or dispensary or person :

Provided that where such psychotropic substance is in possession of an individual for his personal medical use the quantity thereof shall not exceed one hundred dosage units at a time.

(3) The research institution, hospital and dispensary referred to in sub-rule (2) shall maintain proper accounts and records in relation to the purchase and consumption of the psychotropic substance in their possession.

67. Transport of psychotropic substances.—(1) Subject to the provisions of rule 64, no consignment of psychotropic substance shall be transported, imported inter-state or exported inter-state unless such consignment is accompanied by a consignment note in Form 7 appended to these Rules and in the manner as provided hereinafter.

(2) The consignment note referred in sub-rule (1) shall be prepared in triplicate, and the original and duplicate copies of the said note shall be sent along with the consignment of psychotropic substances to the consignee who shall return the duplicate copy of the note to the consignor for his use after endorsing on the original and duplicate copies the particulars of the receipt of the quantity consigned.

(3) The Consignor shall make necessary entries on the triplicate copy of the said note with reference to the receipt of quantity of the psychotropic substances indicated on the duplicate copy of that note.

(4) The consignor and consignee shall keep such consignment note for a period of two years and the said note may be inspected at any time by an officer authorised in this behalf by the Central Government.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

68. Repeal and Savings.—(1) The Central Opium Rules, 1934, the Dangerous Drugs (Import, Export and Transhipment) Rules, 1957, and the Central Manufactured Drugs Rules, 1962 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under any of the rules repealed by sub-rule (1) shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE I

(See Rules 53 and 64)

I. Narcotic Drugs

1. Coca Leaf
2. Cannabis (Hemp)
3. (a) Acetorphine
 (b) Diacetylmorphine (Heroin)
 (c) Dihydrodesoxymorphine (Desomorphine)
 (d) Etorphine
 (e) Ketobemidone

and their salts, preparations, admixtures, extracts and other substances containing any of these drugs.

II. PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Sl. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
1.		DET	N, N-Diethyltryptamine
2.		DMHP	3-(1, 2-Dimethylheptyl)-1-hydroxy-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 6, trimethyl-6H-dibenzo [b d] pyran
3.		DMT	N, N-Dimethyltryptamine
4.	(+) LYSERGIDE	LSD LSD-25	(+)-N, N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)
5.		mescaline	3, 4, 5-Trimethoxy-phenethylamine
6.		parahexyl	3-Hexyl-1-hydroxy-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 6, 9-trimethyl-6H-dibenzo [b, d] pyran.
7.	ETICYCLIDINE	PCE	N-Ethyl-1-phenyl-cyclohexylamine
8.	ROLICYCLIDINE	PHP PCPY	1-(1-Phenylcyclohexyl) pyrrolidine
9.		psilocine, psilotsin	3-(2-Dimethylamino-ethyl)4-hydroxyindole
10.	PSILOCYBINE		3-(2-Dimethylamino-ethyl-indol)4-yl dihydrogen phosphate
11.		STP DOM	2-Amino-1-(2, 5-dimethoxy-4-methyl) phenylpropane
12.	TENOCYCLIDINE	TCP	1-[1-(2-Thienyl) cyclohexyl] piperidine
13.		THC	Tetrahydrocannabinols, the following isomers: △6a (10a), △6a (7). △7, △8, △9, △10, △9(11) and their stereochemical variants
14.		DOB	2, 5-dimethoxy-4-bromoamphetamine
15.		MDA	3, 4-methylenedioxy-amphetamine
16.	MECLOQUALONE		3-(o-Chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H) quinazolinone
17.	METHAQUALONE		2-Methyl-3-o-tolyl-4 (3H)-quinazolinone
18.	ALPRAZOLAM		8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo [4, 3-a] [1, 4] benzodiazepine
19.	AMFEPRAMONE		2-(Diethylamino) propiophenone
20.	BENZPHETAMINE		N-Benzyl-Nα α-dimethyl-phenethylamine
21.	BROMAZEPAM		7-Bromo-1, 3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
22.	CAMAZEPAM		7-Chloro-1, 3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1, 4-benzo diazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)
23.	CLOBAZAM		7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1, 5-benzodiazepine-2, 4(3H, 5H dione.
24.	CLONAZEPAM		5-(o-Chlorophenyl)-1, 3-dihydro-7-nitro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
25.	CLORAZEPATE		7-Chloro-2, 3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H, 4-benzodiazepine-3-carboxylic acid.
26.	CLOTIAZEPAM		5-(O-Chlorophenyl)-7-ethyl-1, 3-dihydro-1-methyl-2H-theno [2,3-e] 1, 4-diazepin-2-one.
27.	CLOXAZOLAM		10-Chloro-11b-(o-chloropheny)-2, 3, 7, 11b-tetrahy drooxazolo-[3,2-d] [1, 4] benzo-diazepin-6 (5H)-one.
28.	DELORAZEPAM		7-Chloro-5-(o-chloro-phenyl)-1, 3-dihydro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.

Sl. No.	International non-proprietary names	Other non proprietary names	Chemical name
29.	ESTAZOLAM		8-Chloro-6-phenyl-4-H-s-triazolo [4, 3-a] [1, 4] benzodiazepine
30.	ETHINAMATE		1-Ethynylcyclo-hexanol carbamate
31.	ETHYLLOFLAZEPATE		Ethy 7-Chloro-5-(o-fluorophenyl)-2, 3-dihydro-2-oxo-1H-1, 4 benzociazepine-3-carboxylate.
32.	FLUDIAZEPAM		7-Chloro-5-(o-fluorophenyl-1, 3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.
33.	FLUNITRAZEPAM		5-(o-fluorophenyl)-1, 3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2 H-1 4-benzodiazepin-2-one.
34.	HALAZEPAM		7-Chloro-1, 3-dihydro-5-phenyl-1-(2, 2, 2-trifluoroethyl) 2 H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
35.	HALOXAZOLAM		10-Bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2, 3, 7, 11b-tetrahydrooxazolo [3, 2-d] [1, 4] benzodiazepin-6 (5H)-one.
36.	KETAZOLAM		11-Chloro-8, 12 b-dihydro-2, 8-dimethyl-12 b-phenyl-4H-[1, 3]-oxazino-[3, 2-d] [1, 4] benzodiazepine-4, 7(6H)-dione.
37.	LEFETAMINE	SPA	(—)-1-Dimethylamino-1, 2-diphenylethane.
38.	LOPRAZOLAM		6-(o-Chlorophenyl)-2, 4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazynyl) methylene]-8-nitro-1H-imidaze [1, 2-a] [1, 4] benzodiazepin-1-one.
39.	LORMETAZEPAM		7-Chloro-5-(o-Chloro-phenyl)-1, 3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2 H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
40.	MAZINDOL		5-(p-Chlorophenyl)-2, 5-dihydro-3H-imidazo [2, 1-o] isoindol-5-ol
41.	MEDAZEPAM		7-Chloro-2, 3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1, 4-benzodiazepine
42.	METHYPRYLON		3, 3-Diethyl-5-methyl-2, 4-piperidine-dione
43.	NIMETAZEPAM		1, 3-Dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2 H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
44.	OXAZOLAM		10-Chloro-2, 3, 7, 7, 11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo [3, 2-d] [14] benzodiazepin-6 (5H)-one.
45.	PHENDIMETRAZINE		(+) 3, 4-Dimethyl-2 phenylmorpholine
46.	PHENTERMINE		££-Dimethylphen-ethylamine
47.	PINAZEPAM		7-Chloro-1, 3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2 H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
48.	PIPRADROL		1, 1-Diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol
49.	PRAZEPAM		7-Chlora-1 (cyclo propylmethyl-1-)-1, s3-dihydro-5-phenyl-2 H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
50.	TEMAZEPAM		7-Chloro-1, 3-dihydro-3 hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2 H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
51.	TETRAZEPAM		7-Chloro-5 (cyclohexen-1-yl) 1, 3-dihydro-1-methyl-2 H-1, 4 benzodiazepin-2-one.
52.	TRIAZOLAM		8-Chloro-6-(o-chlorophenyl)-methyl-4H-s-triacolo (4, 3-a) (1, 4) benzodiazepine.
53.	Salts and Preparations of above.		

SCHEDULE II

[See Rule 55(1)/57 and 58(1)]

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES :

1.	DET	N, N-Diethyltryptamine
2.	DMHP	3-(1, 2-Diemethylheptyl)-1-hydroxy-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 6, 9-trimethyl-6H-dibenzo 6, d/ pyran.
3.	DMT	N, N-Dimethyltryptamine
4. (+)-LYSERGIDE	LSD, LSD-25	(+)-N, N-Diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)
5.	mescaline	3, 4, 5-Trimethoxyphenethylamine
6.	parahexyl	3-Hexyl-1-hydroxy-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 6, 9-trimethyl-6H-dibenzo [b, d] pyran.
7. ETICYCLIDINE	PCE	N-Ethyl-1-phenylcyclohexylamine

Sl. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
8.	**ROLICYCLIDINE**	PHP, PCPY	1-(1-Phenylcyclohexyl)-pyrrolidine
9.	**PSILOCINE**	psilocine, psilotsin	3-(2-Dimethylaminoethyl)-4-hydroxyin-dole
10.	**PSILOCYBINE**		(3-(2-Dimethylaminoethyl)-indol-4-yl dihydrogen Phosphate
11.		STP, DOM	2-Amino-1-(2, 5-dimethoxy-4-methyl) phenyl-propane.
12.	**TENOCYCLIDINE**	TCP	1-[1-(2-Thienyl) cyclohexyl] piperidine
13.		THC	Tetrahydrocannabinols, the following isomers : △ 6a (10a), △ 6a (7), △ 7, △ 8, △ 9, △10, △9(11) and their stereochemical variants
14.		DOB	2,5-Dimethoxy- 4-bromoamphetamine
15.		MDA	3,4-Methylenedioxyamphetamine
16.	**AMPHETAMINE**		(±)-2-Amino-1-phenyl propane
17.	**DEXAMIPHETAMINE**		(+)-Amino- 1 phenyl-propane
18.	**MECLOQUALONE**		3-(o-Chlorophenyl)2-methyl-4.(3H)-quinazolinone
19.	**METHAMPHETAMINE**		(+)-2-Methylamino-1-phenylpropane
20.	**METHAQUALONE**		2-Methyl-3-o-tolyl-4-(3H)-quinazolinone
21.	**METHYLPHENIDATE**		2-Phenyl-2(2-piperidyl)acetic acid, methyl ester
22.	**PHENCYCLIDINE**	PCP	1-(1-Phenylcyclohexyl) piperidine
23.	**PHENMETRAZINE**		3-Methyl-2-Phenylmorpholine
24.	**Salts and preparations** of above.		

SCHEDULE III

[See Rule 58(3)]

PSCYCHOTROPIC SUBSTANCES

1.	**AMOBARBITAL**	5-Ethyl-5-(3-methylbutyl) barbituric acid
2.	**CYCLOBARBITAL**	5-(1-Cyclohexen-1-yl)-5-ethyl)barbituric acid
3.	**GLUTETHIMIDE**	2-Ethyl-2-phenylglutarimide
4.	**PENTAZOCINE**	1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexahydro-6, 11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2-, 6-methano-3-benzazocin-8-ol.
5.	**PENTOBARBITAL**	5-Ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid.
6.	**SECOBARBITAL**	5-Allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid
7.	**Salts and preparations** of above.	

Division.

FORM NO. I Crop season for which valid

(See Rule 7)

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS

LICENCE TO GROW OPIUM POPPY FOR PRODUCTION OF OPIUM OR POPPY STRAW

Name and Parentage of the Licensee	Village	Pargana/District Tehsil	Licence Number	Area licensed	Plot No. (s) as per revenue records
		Hectares	Areas	Signature	
	Area measured			 (S.I.)	
	Area test-measured			 (Inspector/ D. O. O.)	
	Area harvested			 (S.I.)	

Signature & Seal
District Opium Officer.

(Entries to be made at the time of weighments)						Entries to be made at the time of final payment.					
Plate No.	Class of opium as assigned by D.O.O.	Weight of opium (Kg.)	Assumed weight at 70°C (Kg)	Price payable on the basis of assumed weight 70°C	Amount withheld pending final examination of opium at factory	Amount paid at weighments	Total weight of opium at 70°C on the basis of factoy's report	Average yield of the cultivator	Total amount payable on the basis of factory report.	Amount already paid at the time of weighments	Amount paid/ received at the time of final payments
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Signature & Seal (D.O.O.) Signature & Seal (D.O.O.)

FORM No. 2

(See Rule 8)

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE FOR OPIUM POPPY CULTIVATION FOR PRODUCTION OF OPIUM OR POPPY STRAW

Crop Year.....

1. Name of the Cultivator :
2. Father's name :
3. Village..... Tehsil..... District
4. Khasra No. of the plot of land in which poppy is to be cultivated.
5. Whether the plot is in the name of the applicant as per revenue records. If not, in whose name?
6. Whether the plot specified in column 4 has irrigation facilities (Kind of irrigation facilities available i.e. well, tube well, etc.).
7. Area required for opium poppy cultivation.
8. Whether the applicant cultivated the poppy in the past, if so, the latest year in which he cultivated poppy.
9. Whether the applicant was ever prescribed from poppy cultivation or was delicensed for tendering a lulterated opium, excess cultivation, violations of Departmental) instructions. If so, the year and the reasons for proscription.

I hereby certify that the particulars shown above are correct and the land in which opium poppy is to be cultivated is free from litigation.

Attestation (to be made by Lambardar)

Signature/Thumb impression of cultivator.

(TO BE COMPLETED BY THE SUB-INSPECTOR INCHARGE)

A. Performance of the cultivator during the preceding crop year.
Crop year. Area licensed..... Area measured.....
Area harvested..... Average yield at 70°C.

B. Whether the cultivator has ever been proscribed on account of excess cultivation and violation of Departmental instructions etc., if so the particulars thereof.

Signature.....
(Sub-Inspector Incharge)

The particulars above recorded by the Sub-Inspector have been verified by me. The cultivator is eligible/ineligible for grant of licence.

Signature (Inspector Incharge)

Area allotted by the District Opium Officer.

Signature of
District Opium Officer

CONDITIONS OF THE LICENCE

1. The licensee shall not transfer this licence and cultivate poppy only for production of opium or poppy straw over the area of land and the plot(s) specified in the licence.
2. The land in which poppy will be cultivated by the cultivator shall be free from litigation.
3. The licensee shall get his daily collections of opium obtained from the crop weighed by the Lambardar and affix his signature/thumb impression against each entry made by the Lambardar in token of correctness of such entry made by the Lambardar and shall submit to preliminary weighments carried out by the staff of the Narcotics Department in the village during which he shall produce the entire quantity collected by him.
4. The licensee shall bring to, and deliver at, the place fixed and notified for weighments all opium collected by him from the crop and shall accept for opium so brought by him the price fixed by the Central Government for that crop year.
5. The licensee shall deliver the opium either himself or through any person authorised by him at the time of its weighment and his opium shall be weighed under the supervision of the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf by the Narcotics Commissioner in accordance with Rule 14 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985.
6. If the licensee does not surrender his entire produce of opium to Government or retains, embezzles or otherwise illegally disposes of any part of the same, he shall be liable to be prosecuted as per the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
7. The licensee shall extract as much opium as is reasonably possible from all implements, pots and cloth used by him in collecting opium and impregnated with opium in consequence of such use.
8. The final payment for opium delivered by the licensee shall be made to him at appropriate time fixed by the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf.
9. If on the final adjustment of accounts any sum is found due from the licensee, he shall pay it to the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf in the manner specified. If the licensee fails to pay the sum due from him, it may be recovered from him in the manner prescribed by section 72 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
10. The licence may be withheld or cancelled at any time if any fact is revealed against the licensee which makes him ineligible for grant of the licence.
11. The licensee shall comply with the provision of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Rules framed thereunder and any order issued by the competent authorities of the Narcotics Department from time to time.
12. The licensee shall be punishable under the relevant provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 for any breach of the conditions of this licence.

FORM NO. 3

(See Rule 37)

LICENCE FOR MANUFACTURE OF MANUFACTURED DRUGS

Licence No..... Date of issue.....
.....is hereby licensed to manufacture the following manufactured drugs on the premises situated at..... :

	Name of drug	Quantity.
(1)		
(2)		

2. The licence shall be in force from.....to.....
3. The licence is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985).

Signature

Date.....

Designation.....

CONDITIONS OF LICENCE

1. This licence is not transferable.
2. This licence and any certificate of renewal in force shall be kept on the approved premises and shall be produced at the request of an officer detailed for the purpose by the Licensing Authority.
3. The licensee shall not manufacture or keep the drug or the materials used for the manufacture of the drug at any other place except his place of business.

4. The licensee shall ensure manufacture of the drug to the standard and specifications laid down by or under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940).

5. The licensee, if he desires the renewal of his licence, shall apply to the Licensing Authority in the form specified for such renewal, atleast 30 days before the expiry of his licence.

6. The licensee shall inform the Licensing Authority in writing in the event of any change in the constitution of the firm operating under the licence. Where any change in the constitution of the firm takes place, the current licence shall be deemed to be valid for a maximum period of three months from the date on which the change takes place or the normal expiry of the licence whichever is earlier unless in the meantime, a fresh licence has been taken from the Licensing Authority in the name of the firm with the changed constitution.

FORM NO. 4

(See Rule 55)

Official Seal of the Issuing Authority

S. No. ————————

F. No. ————————

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CERTIFICATE OF OFFICIAL APPROVAL OF IMPORT

(The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985)

———————————— being the authority empowered to issue Import Certificate under the Narcotic Drugs and Psy-
(The Issuing Authority)
chotropic Substances Rules, 1985 hereby approves the importation into India of the consignments containing narcotic drugs or psychotropic substances as specified in the Schedule below by:—

M/S

From M/S ————————————————————————————

subject to the condition that the consignment containing such drugs or substances shall be imported before———————by ————————————to (airport/s a-port) in India.

In approving the importation of the consignment containing the said drugs or substances specified———————— (Issuing Authority) is satisfied that it is required solely for medical and scientific purposes.

Address of the Issuing Authority Designation of the Issuing Authority.

Schedule specifying the narcotic drugs or psychotropic substances contained in the consignment to be imported.

1. This document is for ————————(The authority to whom and the purpose for which it is being sent to be indicated).

2. The Certificate is not valid unless it bears the Official Seal of the Issuing Authority on the top right hand corner.

FORM NO. 5

(See Rule 58)

Official Seal of Issuing Authority

S.No. ————————

F. No. ————————

GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Finance

(Department of Revenue)

Authorisation for Official Approval of Export

(The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985)

———————————————being the authority empowered to issue export authorisation under the Narcotic
(The Issuing Authority)
Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1935, hereby authorises and permits the following exportation of Narcotic Drugs or Psychotropic Substances from India:—

Exporter: ————————————————————————————————

Consigned: ————————————————————————————————

Port of export————————————Port of entry————————————

Narcotic Drugs or Psychotropic Substances to be exported:

Item No.	Number of packages	Name of the drug/substances/preparation	Basic drug/substance/content.

The exportation to be made in one consignment from the designated port of export on or before the———————day of——(Month), 19 .

The importation of these drugs into the country of destination has been authorised by official import certificate No.——————dated——————issued by——————(Authority of the importing country).

Date of issue:

Place of issue: Designation of the Issuing Authority.

1. This document is for——————(the authority to whom and the purpose for which it is being sent is to be indicated).
2. This authorisation is not valid unless it bears the official seal of the Issuing Authority on the top right hand corner.

FORM NO. 6

[See Rule 58(3)]

Form to be complete in quadruplicate

For the *export of psychotropic substances listed in Schedule III to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985.

1. Exporter: Name ——————
 Address: ——————
2. Importer: Name ——————
 Address ——————

(Note : export of consignments to a post office box is not allowed).

*3. In the case of an export of psychotropic substance(s) listed in the said schedule and/or preparations containing such psychotropic substances.

(a) The international non-proprietary name, or, lacking such a name the designation of such substance(s) in that Schedule:

(b) The quantity of such substance(s) to be exported:

*4. In the case of an export of preparation(s) containing substance(s) listed in the said Schedule.

(a) The International non-proprietary name(s) of such substance(s) contained therein, or lacking such name, the designation of such substance(s) in that Schedule:

(b) The name(s) and contents of active ingredients of such preparation(s) to be exported:

(c) The quantity of such preparation(s) to be exported:

(d) The total quantity of each such substance contained in the total amount of such preparation(s) to be exported :

(e) The pharmaceutical form(s) in which such preparation(s) is (are) to be exported (e.g. ampoule, pill, powder, etc.)

Date of despatch:——————

The undersigned hereby declares that the above information, submitted by him is, to the best of his knowledge, complete and correct.

Date:

(Signature of exporter)

*Delete whichever is not applicable:

Instructions for compliance

1. The original and duplicate copies of the declaration shall be submitted immediately by the exporters to the Narcotics Commissioner of India, 19, The Mall, Morar, Gwalior-474006; and a third copy shall be sent along with the consignment exported by them, but in a manner which does not attract to the nature of the shipment the attention of persons who might divert it for illicit purposes; the fourth copy may be retained by the exporter for own records.

IndiaCode

2. The information required shall be given in such a way as to facilitate the task of the controlling officers to verify the identity of the substances and preparations in the shipment. With regard to the information to be given concerning preparations, the name alone is sufficient only if it can safely be expected that this name will unequivocally indicate to controlling officers the contents of active ingredients of the preparations in the shipment; otherwise full information on such active ingredients is required.

SERIAL NO.

CONSIGNMENT NOTE

(To accompany the consignment of Psychotropic Substances)

FORM NO. 7

(See Rule 67)

Date and time of despatch of the consignment.

1. Name and address of consignor (manufacturer/dealer/distributor) and his Licence No. etc. (issued under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945).

2. Name and address of the consignee (manufacturer/dealer/distributor) and his Licence No. (Issued under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945).

3. Description and Quantity of the consignment.

(a)	(b)	(c)	
Particulars of the drugs with reference to the Schedule(s) to the 1945 Rules, Trade Marks; Patent and Proprietary Names, etc.	No. of packages.	Quantity	
		Gross	Net

4. Mode of Transport (Particulars of the transporter, Registration Number of the Vehicle, R.R. if the Transport is by Railway etc.)

5. Date and Time of receipt by the Consignee and his remarks.

Signature of the Consignee with date
(Name in capital letters)

Signature of the Consignor with date
(Name in capital letters)

NOTE

(1) This Consignment Note should be serially numbered on annual basis.

(2) The Consignor should record a Certificate on the cover page of each book containing consignment notes indicating the number of pages contained in such consignment note-book.

(3) The Consignor should maintain a Register showing the details of the books of consignment notes brought in use during a particular year.

(4) The books containing consignment notes used or currently under use and the Register as referred to at item (3) above shall be produced to the officers whenever called upon during the course of their inspections.

[No. 10/85/F.No. 664/51/85-OPIUM]

B. R. REDDY, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985